भारत निर्वाचन आयोग

दूरभाष संख्या: 011-23052246
फैक्स : 011-23052001
वेबसाइट: www.eci.gov.in
निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/64/2020
दिनांक: 26 फरवरी, 2020

प्रेस नोट

विषय: असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2020 - तत्संबंधी।

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं का कार्यकाल निम्नलिखित तारीखों को समाप्त हो रहा है। विधान सभाओं के कार्यकाल और सदस्य संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	विधान सभा का कार्यकाल	विधान सभा सीटों की संख्या
असम	**01.06.2016 से 31.05.2021**	**126**
तमिलनाडु	**25.05.2016 से 24.05.2021**	**234**
पश्चिम बंगाल	**31.05.2016 से 30.05.2021**	**294**
केरल	**02.06.2016 से 01.06.2021**	**140**
पुडुचेरी	**09.06.2016 से 08.06.2021**	**30**

भारत निर्वाचन आयोग (इसमें इसके बाद ईसीआई के रूप में संदर्भित) भारत के संविधान के अनुच्छेद 172(1) के साथ पठित अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं के कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनका स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुगम, समावेशी और सुरक्षित निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

1. विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, जैसाकि संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008 द्वारा निर्धारित की गई है, निम्नानुसार है:

राज्य	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल सं.	अ. जा. के लिए आरक्षित	अ.ज.जा. के लिए आरक्षित
असम*	126	08	16
तमिलनाडु	234	44	02
पश्चिम बंगाल	294	68	16
केरल	140	14	02
पुडुचेरी	30	05	--

(*असम में विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रादेशिक निर्धारण संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदेश**,** 1976 के अनुसार किए गए हैं**)**

2. सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाओं के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए कोविड-सुरक्षित निर्वाचन हेतु पालन किए जाने वाले सामान्य दिशानिर्देश-

1) हरेक व्यक्ति को निर्वाचन से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनना होगा।
2) निर्वाचन प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरे/परिसर के प्रवेश पर: (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी; (ख) सभी लोकेशनों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे।
3) राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाई रखी जाएगी।
4) जहाँ तक व्यावहारिक हो, बड़े हॉलों की पहचान की जानी चाहिए और उनका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
5) कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।

3. कोविड-19 के दौरान साधारण निर्वाचन के संचालन के दौरान पालन किए जाने वाले सामान्य दिशानिर्देश-

कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए आयोग ने 21 अगस्त, 2020 को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे जिनका बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन के दौरान पालन किया गया। अब, यह निश्चित किया गया है कि इन दिशानिर्देशों का 5 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र में साधारण निर्वाचन के संचालन के दौरान पालन किया जाएगा जो इसके साथ **अनुबंध-2** के रूप में संलग्न हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बातों के लिए नीचे दिए गए पैरा 5, 6, 8 & 10 देखे जा सकते हैं।

राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे साधारण निर्वाचनों का संचालन करने के लिए राज्य में कोविड-19 के लिए नोडल अधिकारी के साथ परामर्श करके व्यवस्था करने और निवारक उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए एक व्यापक राज्य निर्वाचन

योजना बनाएं।

4. निर्वाचक नामावली -

आयोग का दृढ़ विश्वास है कि शुद्ध और अद्यतन निर्वाचक नामावलियां स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय निर्वाचन की आधारशिला है। इसलिए, उनकी गुणवत्ता, विशुद्धता और विश्वसनीयता में सुधार करने पर गहन और निरंतर ध्यान दिया जाता है। आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की निर्वाचन मशीनरी को निदेश दिया था कि 01.01.2021 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का सहज, प्रभावी, समावेशी और समयबद्ध विशेष सार पुनरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन पश्चिम बंगाल में **15.01.2021** को, असम में **18.01.2021** को और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में **20.01.2021** को किया गया है।

01.01.2021 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों के संबंध में विहित प्ररूप यानि प्ररूप 1घ एसएसआर-2021-01 & 02 में प्राप्त निर्वाचक नामावली आंकड़ों के अनुसार असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में निर्वाचकों की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य	साधारण निर्वाचकों की संख्या	सेवा मतदाताओं की संख्या	प्रवासी निर्वाचक	निर्वाचक नामावलियों के अनुसार निर्वाचकों की कुल संख्या
असम*	2,31,82,309	62,134	11	**2,32,44,454**
तमिलनाडु	6,27,47,653	72,853	3,243	**6,28,23,749**
पश्चिम बंगाल	7,32,94,980	1,12,642	210	**7,34,07,832**
केरल	2,66,40,800	56,759	90,709	**2,67,88,268**
पुडुचेरी	10,01,934	303	352	**10,02,589**

1) <u>फोटो निर्वाचक नामावली और निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक):</u>

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के साधारण निर्वाचन के दौरान फोटो निर्वाचक नामावलियों और निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) का उपयोग किया जाएगा।

2) <u>मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस)</u>

मतदाता अपने मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या, मतदान की तारीख, समय आदि जान सकें, इन सब बातों के लिए आयोग ने दिनांक 26.02.2021 के आदेश द्वारा मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची के स्थान पर 'मतदाता सूचना पर्ची' जारी करने का निर्णय लिया है। मतदाता सूचना पर्ची में मतदान केन्द्र, तारीख, समय आदि जैसी सूचना सम्मिलित होगी, न कि मतदाता का फोटो। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी नामांकित निर्वाचकों को मतदान की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जाएगी। हालांकि, मतदाताओं की

पहचान के प्रमाण के रूप में मतदाता सूचना पर्ची को अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। यह स्मरण दिलाया जाता है कि आयोग ने 28 फरवरी, 2019 से पहचान के प्रमाण के रूप में फोटो मतदाता पर्चियों को अनुमति देना बंद कर दिया है।

3) मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान -

मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता, एपिक या आयोग द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे:

(i) आधार कार्ड
(ii) मनरेगा जॉब कार्ड
(iii) बैंक/डाक घर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
(iv) श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
(v) ड्राइविंग लाइसेंस
(vi) पैन कार्ड
(vii) एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
(viii) भारतीय पासपोर्ट
(ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
(x) केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
(xi) सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र

4) ब्रेल मतदाता सूचना पर्चियां:

निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की भागीदारी तथा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने निदेश दिया है कि दृष्टिदोष से ग्रस्त व्यक्तियों को सामान्य मतदाता सूचना पर्चियों के साथ ब्रेल विशिष्टताओं वाले अभिगम्य मतदाता सूचना पर्चियां जारी की जाएं।

5) मतदाता गाइड:

इन निर्वाचनों में, प्रत्येक निर्वाचक के घर-परिवार को निर्वाचनों से पहले मतदाता गाइड (हिंदी/अंग्रेजी में) सौंपी जाएगी जिसमें मतदान की तारीख एवं समय, बीएलओ के संपर्क विवरण, महत्वपूर्ण वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, मतदान केन्द्र में पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए क्या करें और क्या न करें, के बारे में सूचना दी जाएगी। यह मतदाता गाइड विवरणिका बीएलओ द्वारा फोटो मतदाता पर्चियों के साथ वितरित की जाएगी। मतदाता गाइड में कोविड दिशानिर्देश और मतदाता क्या करें और क्या न करें, के बारे में सूचना शामिल की जाएगी।

5. नाम-निर्देशन प्रक्रिया- नाम-निर्देशन दायर करने के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

I. नाम-निर्देशन में ऑनलाइन विधि की सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त विकल्प

उपलब्ध कराए गए हैं:

1) नाम-निर्देशन प्ररूप मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी इसे ऑनलाइन भर सकता है और उसका प्रिंट रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिया जा सकता है जैसा कि प्ररूप-1 में निर्दिष्ट है। (निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 का नियम-3)
2) शपथ पत्र भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है और उसका प्रिंट लेकर नोटरीकृत करने के बाद उसे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नाम-निर्देशन प्ररूप के साथ जमा किया जा सकता है।
3) अभ्यर्थी निर्धारित प्लेटफार्म पर ऑनलाइन विधि के माध्यम से जमानत-राशि जमा कर सकते हैं। हालांकि, अभ्यर्थी के पास कोषागार में नकद रूप में जमा कराने का विकल्प बना रहेगा।
4) अभ्यर्थी के पास नाम-निर्देशन करने के प्रयोजन से अपना निर्वाचक प्रमाणन ऑनलाइन प्राप्त करने का विकल्प हो सकता है।

II. इसके अतिरिक्त, आयोग ने निम्नलिखित निदेश दिया है:

1) नाम-निर्देशन पत्र जमा करने के लिए अभ्यर्थी के साथ आने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच (5) की बजाए दो (2) तक सीमित की जाती है। (यह रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक 2019 के मौजूदा पैरा 5.8.1 के अधिक्रमण में है)
2) नाम-निर्देशन के प्रयोजनों के लिए वाहनों की संख्या तीन (3) की बजाए दो (2) तक सीमित की जाती है। (यह रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक 2019 के मौजूदा पैरा 5.8.1 के अधिक्रमण में है)
3) रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए नाम-निर्देशन, संवीक्षा और प्रतीक आबंटन के कार्य का निष्पादन करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
4) रिटर्निंग अधिकारी को प्रत्याशित अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम रूप से अलग-अलग समय आबंटित करना चाहिए।
5) अभ्यर्थी(र्थियों) की प्रतीक्षा करने के लिए बड़े स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए।
6) नाम-निर्देशन प्ररूप और शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए उठाए जाने वाले सभी अपेक्षित कदम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निहित प्रावधानों के अनुसार जारी रहेंगे।

6. मतदान केंद्र और विशेष सुविधा -

1) <u>मतदान केन्द्र में निर्वाचकों की अधिकतम सं.</u>

एक मतदान केन्द्र में 1500 निर्वाचकों की बजाय अधिकतम 1000 निर्वाचक होंगे। (आयोग की अनुदेश सं. **<u>23/एसईसी/2020-ईआरएस, दिनांक 23 जुलाई, 2020</u>**)

तदनुसार, इन राज्यों में मतदान केंद्रों की संख्या निम्नलिखित के अनुसार परिवर्तित की गई

है:

राज्य का नाम	2016 में मतदान केंद्रों की संख्या	2021 में मतदान केंद्रों की संख्या	मतदान केंद्रों की संख्या में % वृद्धि
असम	24,890	33,530	34.71 %
तमिलनाडु	66,007	88,936	34.73 %
पश्चिम बंगाल	77,413	1,01,916	31.65 %
केरल	21,498	40,771	89.65 %
पुडुचेरी	930	1,559	67.63 %

2) मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ):

आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, और पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि प्रत्येक मतदान केन्द्र अनिवार्यत: भूतल पर हों, मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी पहुंच सड़क हो और वह सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) जैसे पेय-जल, वेटिंग शेड, पानी की सुविधा के साथ टॉयलेट, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग निर्वाचकों के लिए उपयुक्त ढाल वाले रैम्प और एक मानक वोटिंग कम्पार्टमेंट आदि से युक्त हों। इसे कोविड प्रशमन सुविधाओं जैसे कि सैनिटाइजर्स, थर्मल स्कैनर, साबुन आदि से आगे और सम्पूरित किया जाएगा।

3) मतदान केन्द्र व्यवस्थाएं

कोविड-19 परिस्थिति को देखते हुए, आयोग ने प्रत्येक मतदान केन्द्र में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं के लिए विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं, जिन्हें ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित किया गया है। इनके अतिरिक्त, उनमें निम्नलिखित सुविधाएं शामिल होंगी:

1) मतदान केंद्र को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाना, अधिमानत:, मतदान से एक दिन पहले।
2) मतदान केंद्र स्थान/मतदान केन्द्र के प्रवेश बिंदु पर मतदाताओं की थर्मल जांच, या तो मतदान कर्मचारी द्वारा या पैरा मेडिकल स्टाफ या आशा कार्यकर्ता द्वारा की जानी है।
3) यदि पहली रीडिंग पर तापमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियत मानदंडों से अधिक है, तो उसकी दोबारा जांच की जाएगी और यदि वह यथावत बना रहता है, तो निर्वाचक को टोकन/प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसे <u>मतदान के अंतिम घंटे में</u> मतदान हेतु आने के लिए कहा जाएगा। मतदान के अंतिम घंटे में, ऐसे निर्वाचकों से, कोविड-19 संबंधित निवारक उपायों का कड़ाई से पालन करने के बाद, मतदान करवाया जाएगा।

4) पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मतदाताओं को टोकन वितरण के लिए हेल्प डेस्क ताकि उन्हें कतार में इंतजार न करना पड़े।

5) कतार के लिए सामाजिक दूरी प्रदर्शित करने के लिए मार्कर।

6) स्थान की उपलब्धता के आधार पर कतार में खड़े मतदाताओं के लिए 2 गज (6 फीट) की दूरी पर 15-20 व्यक्तियों के लिए वृत्त चिह्नित करना। पुरुष, महिला और दिव्यांगजन/वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से प्रत्येक के लिए तीन कतारें होंगी।

7) सामाजिक दूरी के मानदंडों का सख्ती से अनुवीक्षण एवं विनियमन करने के लिए बीएलओ, स्वयंसेवकों आदि को परिनियोजित किया जा सकता है।

8) मतदान केंद्र परिसर के भीतर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग छांव-युक्त प्रतीक्षा-क्षेत्रों की व्यवस्था (कुर्सियों, दरी आदि के साथ) की जाएगी ताकि मतदाता सुरक्षा चिंताओं के बिना मतदान में भाग ले सकें।

9) जहां भी संभव हो, मतदान केंद्र पर बूथ एप का इस्तेमाल किया जाएगा।

10) उन निर्वाचकों के लिए रिजर्व में फेस मॉस्क रखे जाएंगे जो मॉस्क पहनकर नहीं आएंगे।

11) कोविड-19 पर दृष्टिगोचर स्थानों पर जागरूकता पोस्टर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

12) यदि मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट का तापमान विहित सीमा से अधिक है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर को अनुमति दी जाएगी, जो तदनुसार रिकॉर्ड रखेंगे।

13) मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान, मतदाताओं के लिए अपेक्षित होगा कि वह आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिए फेसमास्क को नीचे करे।

14) मतदाता को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए हस्त-दस्ताने (हैंड ग्लव्स) उपलब्ध कराए जाएंगे।

15) कोविड-19 मरीजों को, जिन्हें संगरोध किया गया है, कोविड-19 संबंधित निवारक उपायों का सख्ती से पालन करते हुए स्वास्थ्य प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर मतदान दिवस के अंतिम घंटे में अपना मत डालने की अनुमति दी जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों में इसका समन्वय करेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे निर्वाचकों का अभिलेख बनाए रखा जाएगा।

16) उन मतदाताओं के मामले में, जो कन्टेन्मेंट जोन के रूप में अधिसूचित क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

17) प्रत्येक मतदान केन्द्र में बेकार/प्रयुक्त ग्लव्स के संग्रहण और निपटान की उचित व्यवस्था की जाएगी।

4) दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं:

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में सभी मतदान केंद्र भूतल पर स्थित किए गए हैं और व्हील चेयर का उपयोग करने वाले नि:शक्त निर्वाचकों की सुविधा के लिए उचित ढलान वाले मजबूत रैम्प का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा, नि:शक्त मतदाताओं को लक्षित और आवश्यकता आधारित सुविधा प्रदान करने के लिए आयोग ने निदेश जारी किए हैं कि विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के सभी दिव्यांगजनों की पहचान की जाए और उन्हें उनके संबंधित मतदान केंद्र के साथ टैग किया जाए तथा मतदान के दिन उनको सहज और सुविधाजनक मतदान अनुभव कराने के लिए निशक्तता-विशिष्ट आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। अभिज्ञात पीडब्ल्यूडी निर्वाचकों को

आरओ/डीईओ द्वारा नियुक्त स्वयंसेवकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, यह निदेश भी दिया गया है कि मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु नि:शक्त निर्वाचकों को प्राथमिकता दी जाए, मतदान परिसर के प्रवेश के निकट उनके लिए निर्दिष्ट पार्किंग स्थान की व्यवस्था की जाए और वाक् एवं श्रवण विकार से ग्रस्त निर्वाचकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नि:शक्त निर्वाचकों की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। दिव्यांग निर्वाचक, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध पीडब्ल्यूडी मोबाइल एप का उपयोग करके व्हीलचेयर सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया है कि मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग निर्वाचकों के लिए उचित परिवहन सुविधा होनी चाहिए। प्रत्येक दिव्यांग निर्वाचक को मतदान के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फ्री पास दिया जाएगा।

5) मतदाता सुविधा पोस्टर:

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 31 के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने तथा प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता जागरूकता एवं सूचना के लिए सटीक एवं सुसंगत सूचना प्रदान करने के लिए आयोग ने यह निदेश भी दिया है कि मतदाताओं को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने तथा उन्हें जागरूक बनाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर एकसमान और मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर (वीएफपी) (कुल मिलाकर चार (4) पोस्टर) प्रदर्शित किए जाएंगे। आयोग ने निदेश दिया है कि ये चार मतदाता सुविधा पोस्टर (वीएफपी) मतदान वाले राज्य में प्रत्येक मतदान बूथ पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाताओं की जागरूकता के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के लिए कोविड-19 संबंधी सुरक्षा उपाय प्रदर्शित किए जाएं।

6) मतदाता सहायता बूथ (वीएबी):

प्रत्येक मतदान केंद्र स्थान के लिए मतदाता सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे जिनमें बीएलओ/अधिकारियों का एक दल होगा जिसका उद्देश्य मतदाता से संबंधित मतदान बूथ की निर्वाचक नामावली में उसकी मतदान बूथ संख्या और क्रम संख्या का पता लगाने में उसकी सहायता करना है। मतदाता सहायता बूथों (वीएबी) को सुस्पष्ट पहचान सूचक के साथ और इस तरीके से स्थापित किया जाएगा कि वह मतदाताओं के मतदान परिसर/भवन की ओर बढ़ने पर आसानी से उनकी नजर में आ सके जिससे वे मतदान के दिन अपेक्षित सुविधा प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।
आसानी से नाम खोजने और निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या जानने के लिए मतदाता सहायता बूथ पर ईआरओ नेट के साथ सृजित वर्णक्रम (अल्फाबेटिक) लोकेटर रखा जाता है।

7) मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत वोटिंग कंपार्टमेंट:

मतदान के समय, मत की गोपनीयता बनाए रखने तथा वोटिंग कंपार्टमेंट के उपयोग में एकरूपता लाने के लिए आयोग ने वोटिंग कंपार्टमेंट की ऊँचाई को 30 इंच तक बढ़ाने के लिए 15 नवंबर, 2016 को संशोधित अनुदेश जारी किए हैं। यह निदेश भी दिए गए हैं कि वोटिंग कंपार्टमेंट

एक टेबल पर रखा जाएगा जिसकी ऊंचाई 30 इंच होगी। वोटिंग कंपार्टमेंट बनाने के लिए स्टील ग्रे रंग का पूर्णत: अपारदर्शी और पुन: प्रयोज्य केवल लहरदार (कोरूगेटेड) प्लास्टिक शीट (फ्लेक्स बोर्ड) का प्रयोग किया जाएगा। आयोग उम्मीद करता है कि सभी मतदान बूथों में इन मानकीकृत और एकसमान वोटिंग कंपार्टमेंट का उपयोग करने से मतदाताओं को अधिकाधिक सुविधा मिलेगी, मत की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित होगी और मतदान बूथों के भीतर वोटिंग कंपार्टमेंट तैयार करने में असामान्यताएं और असमानताएं दूर होंगी।

7. निर्वाचन सामग्री का वितरण और संग्रहण -

1) निर्वाचन सामग्री के वितरण/संग्रहण के लिए बड़े हॉल/स्थानों की पहचान की जानी चाहिए।
2) जहाँ तक व्यावहारिक हो, यह कार्य विकेंद्रीकृत तरीके से संचालित किया जाना चाहिए।
3) निर्वाचन सामग्री के वितरण/संग्रहण हेतु पोलिंग टीमों को पहले से ही अलग-अलग समय आवंटित करना चाहिए।

8. मतगणना - कोविड-19 को देखते हुए आयोग ने निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं:-

1) स्ट्रांग रूम को मतदान में प्रयुक्त ईवीएम के भंडारण से पहले सैनिटाइज किया जाएगा।
2) प्रत्येक कार्यकलाप के लिए सामाजिक दूरी और अन्य सेफ्टी मानदंडों का पालन किया जाएगा।
3) मतगणना हॉल में 14 मतगणना मेजों की बजाय 7 से अधिक मतगणना मेजों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्त करके 3-4 हॉल में करने पर विचार किया जा सकता है। (अनुदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2014 के अधिक्रमण में)
4) सीयू/वीवीपैट को ले जाने वाले केस, मतगणना मेज पर रखने से पहले सैनिटाइज किए जाने चाहिए।
5) कंट्रोल यूनिटों से परिणाम का प्रदर्शन बड़े स्क्रीन पर किया जाए ताकि बड़ी संख्या में मतगणना एजेंटों के एकत्रित होने से बचा जा सके।
6) मतगणना केंद्रों को मतगणना के पहले, मतगणना के दौरान और बाद में विसंक्रमित किया जाएगा।
7) डाक मतपत्रों की गणना के लिए, अतिरिक्त संख्या में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आवश्यक हो, तो डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक अलग हॉल में भी की जा सकती है।

9. राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-अभियान -

1) घर-घर जाकर प्रचार-अभियान चलाना - किसी भी अन्य प्रतिबंध(धों), जिनमें मौजूदा कोविड-19 दिशानिर्देश शामिल हैं, के अधीन अभ्यर्थी सहित 5 (पांच) व्यक्तियों के

एक समूह को, जिनमें सुरक्षा कर्मी, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं, घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति है।

2) **रोड शो** - वाहनों के काफिले का 10 वाहनों (सुरक्षा वाहनों, यदि कोई हो, को छोड़कर) की बजाय प्रत्येक 5 (पांच) वाहनों के बाद क्रमभंग किया जाना चाहिए। वाहनों के काफिले के दो समूहों के बीच का अंतराल 100 मीटर की दूरी की बजाय आधा घंटा होना चाहिए। (रिटर्निंग आफिसर हैंडबुक 2019 के पैरा 5.8.1 के अधिक्रमण में)

3) **चुनावी बैठकें -** जन सभाओं/रैलियों का आयोजन मौजूदा कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करने की शर्त के अधीन किया जाए। इस प्रयोजन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

(क) जिला निर्वाचन अधिकारी को, स्पष्ट रूप से चिह्नित प्रवेश/निकास बिंदुओं के साथ सार्वजनिक सभा के लिए आशयित मैदानों की अग्रिम रूप से पहचान करनी चाहिए।

(ख) ऐसे सभी चिह्नित मैदानों में जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम रूप से मार्कर लगाना चाहिए ताकि उपस्थित लोग सामाजिक दूरी का सुनिश्चित रूप से पालन करें।

(ग) नोडल जिला स्वास्थ्य अधिकारी को इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोविड-19 संबंधी सभी दिशानिर्देशों का जिले के सभी संबंधितों द्वारा पालन किया जाए।

(घ) जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाग लेने वाले लोगों की संख्या <u>सार्वजनिक बैठकों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।</u>

(ङ) जिला निर्वाचन अधिकारी को इस बात का निरीक्षण करने के लिए सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर को प्रतिनियुक्त करना चाहिए कि इन बैठकों के दौरान कोविड-19 अनुदेशों/दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

(च) संबंधित राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक गतिविधि के दौरान फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग आदि जैसी कोविड-19 संबंधित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति की जाए।

(छ) सार्वजनिक स्थानों का आबंटन सुविधा एप का उपयोग करते हुए ही उस तरीके से किया जाना चाहिए जैसा आयोग द्वारा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।

(ज) अनुदेशों का पालन न करना - *कोविड-19 उपायों पर अनुदेशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई, और यथा-अनुप्रयोज्य अन्य कानूनी प्रावधानों, जैसा कि गृह मंत्रालय के आदेश सं. 40-3/2020 -डीएम-I(ए) दिनांक 29 जुलाई, 2020 में यथा-निर्दिष्ट है, के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार अभियोग का भागी बनेगा।*

जिला निर्वाचन अधिकारी को इसे सभी संबंधितों के संज्ञान में लाना चाहिए।

10. कोविड-19 को देखते हुए दिव्यांग मतदाताओं और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पहल:

1) डाक मतपत्र

निम्नलिखित श्रेणियों के निर्वाचकों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा का विकल्प दिया गया है:

(1) निर्वाचकगण, जो दिव्यांगजन के रूप में चिह्नित हैं

(2) 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक

(3) अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में नियोजित निर्वाचक

(4) ऐसे निर्वाचक जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा-प्रमाणित कोविड-19 पॉजिटिव/संदिग्ध हैं और संगरोध (घर/संस्थानिक) हैं।

(5) विधि और न्याय मंत्रालय की दिनांक 22.10.2019 की अधिसूचना द्वारा 'अनुपस्थित मतदाताओं' को डाक मतपत्र द्वारा मत देने में समर्थ बनाने के लिए आयोग की सिफारिश पर निर्वाचनों के संचालन नियमों को संशोधित किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (ग) के अंतर्गत आयोग द्वारा यथा अधिसूचित मतदान केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात निर्वाचक, 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और निर्वाचक नामावली में दिव्यांगजनों के रूप में चिह्नित निर्वाचकों को डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान करने का विकल्प होगा।

(6) उपर्युक्त श्रेणियों के ऐसे सभी मतदाता यदि मतदान के लिए डाक मतपत्र के विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं तो उनको अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन की घोषणा के 5 दिनों के भीतर डाक मतपत्र के लिए आवेदन करना होगा।

(7) सभी पात्र निर्वाचकों को बीएलओ द्वारा आवेदन प्ररूप दिया जाएगा जिसके बाद वे निर्वाचक की पसंद - कि क्या वह डाक मतपत्र चाहता है या वह मतदान केंद्र में जाकर मतदान करना चाहता है, के साथ भरा हुआ प्ररूप एकत्र करेंगे। 1 वीडियोग्राफर सहित 2 मतदान अधिकारियों वाला मतदान दल तब मतदान कंपार्टमेंट के साथ निर्वाचक के घर जाएगा और मत की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए डाक मत पत्र पर निर्वाचक से मतदान करवाएगा। अभ्यर्थियों को इन निर्वाचकों की सूची अग्रिम तौर पर दी जाएगी और उनको मतदान का कार्यक्रम और मतदान दल द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग का चार्ट भी भेजा जाएगा ताकि वे अपने प्रतिनिधियों को साक्षी बनने के लिए भेज सके, तदुपरांत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र को सुरक्षित ढंग से स्टोर किया जाएगा।

(8) यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है और इसमें किसी डाक विभाग की पत्र प्रेषण जैसी कोई व्यवस्था शामिल नहीं है।

(9) आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया है कि वे मतदाताओं की उक्त श्रेणियों तक सूचना का प्रसार करने और उनको सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(10) अनुपस्थित मतदाता स्टेटस की यह सुविधा देश में पहली बार झारखंड में कुल 7 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के दिव्यांगजनों और 80+ मतदाताओं को प्रदान की गई

थी और यह सुविधा बिहार में सभी 243 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी लागू की गई थी।

11. महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र-

लैंगिक समानता और निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी को बढ़ाने के प्रति अपनी गहन प्रतिबद्धता के भाग के रूप में आयोग ने यह निदेश भी दिया है कि जहां तक संभव हो, 5 राज्यों यथा असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में केवल महिलाओं द्वारा संचालित कम से कम एक मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऐसे स्टेशनों में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों सहित सभी निर्वाचन स्टॉफ महिलाएं होंगी।

12. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट):

(1) <u>इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)</u>

आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन में प्रत्येक मतदान केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का उपयोग करने का निर्णय लिया है क्योंकि वीवीपैट से मतदाता अपना मत सत्यापित कर पाते हैं। आयोग ने निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहले ही व्यवस्थाएं कर दी हैं।

विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन के लिए ईवीएम और वीवीपैट की तैनाती				
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**बी.यू.**	**सी.यू.**	**वीवीपैट**
1	असम	0.46	0.48	0.48
2	तमिलनाडु	1.55	1.18	1.27
3	पश्चिम बंगाल	1.40	1.40	1.50
4	केरल	0.52	0.52	0.56
5	पुदुचेरी	0.02	0.02	0.02

(2) <u>ईवीएम और वीवीपैट का यादृच्छिकीकरण</u>

किसी भी निश्चित आवंटन की संभावना समाप्त करने के लिए ईवीएम/वीवीपैट का किसी विधान सभा के लिए और तत्पश्चात किसी मतदान बूथ के लिए आबंटन करते समय दो बार 'ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)' का उपयोग करके यादृच्छिकीकरण किया जाता है।

(3) <u>ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग</u>

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग (अभ्यर्थी सेटिंग) की जाती है। ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग (अभ्यर्थी सेटिंग) के उपरांत प्रत्येक ईवीएम और वीवीपैट में नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को एक मत देकर छद्म मतदान किया जाता है। इसके

अलावा, यादृच्छिक रूप से चयनित 5% ईवीएम के साथ-साथ वीवीपैट में 1000 मतों का छद्म मतदान (मॉक पोल) किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिणाम का पेपर गणना के साथ मिलान किया जाता है।

(4) <u>मतदान के दिन छद्म मतदान:</u>

(i) मतदान वाले दिन, वास्तविक मतदान के प्रारंभ होने से 90 मिनट पहले प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कम से कम 50 मत डालकर छद्म मतदान आयोजित किया जाता है और कंट्रोल यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक परिणाम एवं वीवीपैट पर्चियों की गणना का मिलान करके उन्हें दिखाया जाता है। पीठासीन अधिकारियों द्वारा पीठासीन अधिकारी की डायरी में छद्म मतदान के सफल संचालन का एक प्रमाणपत्र बनाया जाएगा।

(ii) छद्म मतदान होने के तुरंत बाद, कंट्रोल यूनिट (सी.यू.) पर क्लियर बटन को दबाया जाता है जिससे छद्म मतदान का डाटा क्लियर हो जाए और इस तथ्य को उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित किया जाता है कि कंट्रोल यूनिट में कोई वोट रिकार्ड नहीं है। पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मतदान आरंभ होने से पहले सभी छद्म मतदान पर्चियों को वीवीपैट से बाहर निकाला जाए और उन्हें एक अलग चिह्नित लिफाफे में रख दिया जाए।

(iii) छद्म मतदान के बाद, वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले ईवीएम और वीवीपैट को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील किया जाता है और सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जाते हैं।

(5) <u>मतदान का दिन और स्ट्रांग रूम में मतदान में प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपैट का भंडारण</u>

(i) मतदान के दिन, डाले गए कुल मतों, सील (विशिष्ट नंबर), मतदान केंद्रों में प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपैट के विवरण वाले प्ररूप 17ग की एक प्रति अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं को प्रदान की जाएगी।

(ii) मतदान समाप्त होने के बाद, ईवीएम और वीवीपैट मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में उनके संबंधित कैरेईंग केसों में सीलबंद की जाती हैं और सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जाते हैं।

(iii) मतदान में प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपैट अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के तहत डबल लॉक सिस्टम में स्ट्रांग रूम में अनुरक्षा के साथ वापस ले जाई जाती हैं।

(iv) अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम के सामने ठहर भी सकते हैं। इन स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी सुविधा सहित कई स्तरों में 24X7 पहरेदारी की जाती है।

(6) <u>मतगणना केंद्रों पर मतों की गणना</u>

(i) मतगणना के दिन वीडियोग्राफी के अधीन अभ्यर्थियों, आरओ और प्रेक्षक की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाता है।

(ii) मतयुक्त ईवीएम सीसीटीवी कवरेज में सुरक्षा के अधीन और अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतगणना केंद्रों तक ले जाई जाती हैं।

(iii) सीसीटीवी की निरंतर निगरानी के तहत राउंड वार सीयू स्ट्रांग रूम से मतगणना टेबलों पर लाई जाती हैं।

(iv) मतगणना के दिन, कंट्रोल यूनिट से परिणाम प्राप्त करने से पहले अभ्यर्थियों द्वारा तैनात किए गए मतगणना अभिकर्ताओं के समक्ष सील का सत्यापन किया जाता है और सीयू की विशिष्ट क्रम संख्याओं का मिलान किया जाता है।

(v) मतगणना के दिन मतगणना अभिकर्ता सीयू पर प्रदर्शित डाले गए मतों का प्ररूप 17सी पर दर्ज विवरण के साथ सत्यापन कर सकते हैं। प्ररूप 17सी के भाग ।। में अभ्यर्थी-वार पड़े मतों को अभिलिखित किया जाता है और उस पर मतगणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाते हैं।

(vi) निर्वाचन याचिका अवधि के पूर्ण होने तक ईवीएम और वीवीपैट को अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में वापस स्टोर किया जाता है।

(7) <u>वीवीपैट पेपर पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन</u>

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 08 अप्रैल, 2019 के आदेश के अनुसरण में आयोग ने यह अधिदेश भी दिया है कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधान सभाओं के प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से चयनित पांच (5) मतदान केन्द्रों की वीवीपैट पर्ची गणना सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति में **ड्रा ऑफ लॉट** के माध्यम से की जाएगी ताकि कंट्रोल यूनिट से प्राप्त परिणाम का सत्यापन किया जा सके। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से चयनित पांच (5) मतदान केन्द्रों की वीवीपैट पर्ची गणना का यह अनिवार्य सत्यापन, निर्वाचनों का संचालन नियम, (1961 के नियम 56 (घ) के उपबंधों के अतिरिक्त होगा।

(8) <u>ईवीएम और वीवीपैट में 'इनमें से कोई नहीं' (नोटा) का विकल्प</u>:

हमेशा की तरह, निर्वाचनों के लिए 'इनमें से कोई नहीं' का विकल्प होगा। बैलेट यूनिटों में अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे 'नोटा' विकल्प का बटन होगा ताकि वे निर्वाचक जो किसी भी अभ्यर्थी के लिए वोट नहीं देना चाहते वे 'नोटा' के सामने का बटन दबाकर अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से, डाक मतपत्रों पर भी अंतिम अभ्यर्थी के नाम के बाद नोटा पैनल भी होगा। नोटा पैनल के सामने निम्नलिखित रूप में नोटा प्रतीक मुद्रित होगा।

स्वीप के भाग के रूप में, इस विकल्प को मतदाताओं और अन्य सभी स्टेकहोल्डरों की जानकारी में लाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं।

(9) ईवीएम बैलेट पेपर पर अभ्यर्थियों की तस्वीर

अभ्यर्थियों की पहचान करने में मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए, ईसीआई ने

ईवीएम (बैलेट यूनिट) पर प्रदर्शित किए जाने वाले मतपत्र और पोस्टल बैलेट पेपर पर भी अभ्यर्थी की तस्वीर छापने के प्रावधान को जोड़कर एक अतिरिक्त उपाय निर्धारित किया है। यह उस स्थिति में किसी भी भ्रम से बचाने में मदद करेगा, जब समान या लगभग समान नामों वाले अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। इस प्रयोजन के लिए अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार, रिटर्निंग ऑफिसर को अपना हाल का स्टैम्प साइज फोटोग्राफ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

13. मतदान कार्मिकों की तैनाती और यादृच्छिकीकरणः

(क) मतदान दलों का गठन यादृच्छिक रूप से विशेष यादृच्छिकीकरण आईटी एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा।

(ख) पुलिस कार्मिक तथा होम गार्डों जिन्हें मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों में तैनात किया जाता है, के लिए भी ऐसा यादृच्छिकीकरण किया जाएगा।

(ग) कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए मतदान स्टॉफ के तृतीय यादृच्छिकीकरण के लिए समय 24 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है ताकि प्रेषण केन्द्रों पर मतदान स्टॉफ के बड़े जमावड़े से बचा जा सके। जहां तक व्यवहार्य हो, मतदान दलों के प्रेषण और उनकी अगवानी का कार्य विकेन्द्रीकृत एवं सांतरित तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

14. अभ्यर्थियों के शपथ-पत्र

(1) <u>सभी कॉलम भरे जाने हैं:</u>

वर्ष 2008 की रिट याचिका संख्या (सी) 121 (रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य) में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13 सितंबर 2013 के निर्णय, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ रिटर्निंग अधिकारी के लिए 'यह जांच करना कि नामनिर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र भरे जाने के समय पर अपेक्षित सूचना (अभ्यर्थी द्वारा) पूर्णत: प्रदान की गई है या नहीं, अनिवार्य बनाया गया है, के अनुसरण में आयोग ने यह अनुदेश जारी किया है कि नामनिर्देशन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथ-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे सभी कॉलमों को भरें। शपथ-पत्र में यदि कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थी को सभी कॉलम विधिवत रूप से भरे जाने के साथ संशोधित शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेंगे। ऐसे नोटिस के उपरांत, अगर अभ्यर्थी सभी दृष्टियों से पूर्ण शपथ-पत्र दाखिल करने में असफल रहता है तो उसका नामनिर्देशन पत्र संवीक्षा के समय अस्वीकृत किया जा सकता है।

(2) <u>प्ररूप 26 में नाम निर्देशन प्ररूप और शपथ-पत्र में परिवर्तन</u>

दिनांक 16 सितंबर, 2016 और 07 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना के तहत नामनिर्देशन प्ररूप 2ए और 2बी का भाग ।।। ए तथा नामनिर्देशन प्ररूप 2सी, 2डी और 2ई के भाग ।। को संशोधित किया गया है। दिनांक 26 फरवरी, 2019 की अधिसूचना के तहत प्ररूप 26 में शपथ पत्र को भी संशोधित किया गया है जिसमें (i) उन अभ्यर्थियों के लिए 'पैन' का अनिवार्य प्रकटन जिन्हें पैन आवंटित किया गया है या बिना पैन वाले अभ्यर्थी के लिए 'कोई पैन आवंटित नहीं' का स्पष्ट उल्लेख करने; (ii) अभ्यर्थी, उसके पति या पत्नी और एचयूएफ और आश्रितों के पिछले पांच वर्षों में दायर की

गई आयकर विवरणी में यथा घोषित कुल आय का विवरण; (iii) अभ्यर्थियों, उनके पति/पत्नी और आश्रितों द्वारा किसी विदेशी कंपनी/ट्रस्ट में लाभकारी हित सहित विदेशों में धारित परिसंपत्तियों (चल/अचल) का विवरण प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। संशोधित नाम निर्देशन प्ररूप और शपथ पत्र की प्रति आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in>menu>candidate nomiation & other Forms पर उपलब्ध है।

(3) <u>पर्यावरण अनुकूल निर्वाचन-</u>

आयोग काफी समय से सभी राजनैतिक दलों से उनके प्रचार अभियान उद्देश्यों के लिए केवल पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करने के लिए कहता रहा है। इस संबंध में, आयोग ने दिनांक 26.02.2019 को पुन: अनुदेश दिया है कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में सभी राजनैतिक दलों को निर्वाचनों के दौरान प्रचार सामग्री (पोस्टर, बैनर आदि) के रूप में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिएं और आवश्यक उपाय करने चाहिए।

(4) <u>प्रचार समापन (साइलेंस) अवधि के संबंध में राजनैतिक दलों को परामर्श</u>-

आयोग ने सभी राजनैतिक दलों को यह निर्देशित करने के लिए बुलाया था कि वे अपने नेताओं और प्रचारकों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दें कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत यथा-विहित मीडिया के सभी रूपों पर प्रचार समापन (साइलेंस) अवधि का पालन करें और उनके नेता और कैडर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे धारा 126 की भावना का उल्लंघन हो।

बहु-चरणीय निर्वाचनों में अंतिम 48 घंटों की प्रचार समापन (साइलेंस) अवधि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रों में लागू रह सकती है जबकि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार अभियान जारी रह सकता है। ऐसी स्थितियों में प्रचार समापन (साइलेंस) अवधि का पालन कर रहे निर्वाचन क्षेत्रों में दलों या अभ्यर्थियों के समर्थन हेतु कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए।

प्रचार समापन (साइलेंस) अवधि के दौरान स्टार प्रचारकों और अन्य राजनैतिक दलों को प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से और निर्वाचन मामलों पर साक्षात्कार देकर मीडिया को संबोधित करने से बचना चाहिए।

15. आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थी-

आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित है कि वे निर्वाचन-प्रचार अवधि के दौरान तीन अवसरों पर समाचार पत्रों में और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में सूचना प्रकाशित करें। जो राजनैतिक दल आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों को खड़ा करते हैं, उनके लिए भी अपेक्षित है कि वे अपने अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में, अपनी वेबसाइट में और समाचार-पत्रों और टेलीविजन चैनल में भी, तीन अवसरों पर सूचना प्रकाशित करें।

आयोग ने दिनांक 16 सितंबर, 2020 के अपने पत्र सं. 3/4//2019/एसडीआर/खंड IV के जरिए यह निदेश दिया है कि प्रचार अभियान के दौरान प्रचार अवधि को निम्नलिखित तरीके से तीन खंडों में रखा जाएगा ताकि निर्वाचकों को अभ्यर्थियों के बारे में जानने का पर्याप्त समय मिले:

क. प्रथम प्रचार: अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर

ख. दूसरा प्रचार: अगले 5 से 8 दिनों के बीच

ग. तीसरा प्रचार: 9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान के दिन से पहले दो दिन तक)

(व्याख्या: यदि अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि महीने का 10वां दिन है और मतदान महीने के 24वें दिन है तो घोषणा प्रकाशन के लिए पहला खंड महीने के 11वें से 14वें दिन के बीच किया जाएगा, दूसरा और तीसरा क्रमश: महीने के 15वें और 18वें दिन के बीच और 19वें और 22वें दिन के बीच किया जाएगा।)

यह अपेक्षा वर्ष 2015 की रिट याचिका (सिविल) सं. 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) में और वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में है।

16. आपराधिक मामलों से जुड़े अभ्यर्थी खड़े करने वाले राजनैतिक दल -

यह पुन: दोहराया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 के आदेश के अनुपालन में राजनैतिक दलों (केंद्र और राज्य के निर्वाचन स्तर पर) के लिए अनिवार्य है कि वे अपनी वेबसाइट पर लंबित आपराधिक मामलों वाले उन व्यक्तियों (अपराधों की प्रकृति और संगत विवरणों जैसे कि आरोपों को तय कर दिया गया या नहीं, संबंधित न्यायालय और मामला सं. आदि सहित) के बारे में विस्तृत जानकारी अपलोड करें, जिन्हें अभ्यर्थी के रूप में चुना गया है, साथ ही ऐसे चयन के कारण भी बताएं कि आपराधिक पूर्ववृत्त रहित अन्य व्यक्तियों का चयन अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता था। चयन के लिए कारण संबंधित अभ्यर्थियों की योग्यता, उपलब्धियों और गुणों के संदर्भ में होंगे, न कि निर्वाचन में "जीत हासिल करने" की योग्यता होनी चाहिए।

यह जानकारी निम्न माध्यमों में भी प्रकाशित की जाएगी:

क. एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में;

(क) राष्ट्रीय समाचार पत्र - कोई भी दैनिक समाचार पत्र जो निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करता है:

1. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड में डीएवीपी/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अनुसार 75000 से अधिक सर्कुलेशन वाला कम से कम एक संस्करण।
2. एक से अधिक राज्यों में संस्करण, जो डीएवीपी/ऑडिट ब्यूरों ऑफ सर्कुलेशन के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड में परिलक्षित होता हो।

(ख) स्थानीय देशी भाषा का समाचार पत्र - कोई भी दैनिक समाचार पत्र जो निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करता है:

1. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड में डीएवीपी/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन द्वारा यथा उल्लिखित, स्थानीय देशी भाषा में, कम से कम 25,000 सर्कुलेशन वाला, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर प्रकाशित कम से कम एक संस्करण। हालांकि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यदि आवश्यक समझे तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा,

मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों में और दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, निम्नतर सर्कुलेशन स्तर जो 15,000 से नीचे न हो, नियत कर सकते हैं।

2. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के डीआईपीआर के साथ पंजीकृत, और उससे विज्ञापन प्राप्त करने के लिए पात्र।
3. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थानीय देशी भाषाओं की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सीईओ द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, जो यदि आवश्यक समझे तो इस मामले में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के डीआईपीआर से सलाह ले सकते हैं।

ख. फेसबुक और ट्विटर सहित राजनैतिक पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर।

ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह से अनधिक की अवधि, इनमें से जो भी पहले हो, में प्रकाशित किए जाएंगे। तब संबंधित राजनैतिक दल उक्त उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग को इन निर्देशों के अनुपालन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि कोई राजनैतिक दल निर्वाचन आयोग को इस तरह की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निर्वाचन आयोग इस प्रकार के गैर-अनुपालन को न्यायालय के आदेशों/निदेशों की अवमानना मानते हुए इसे उच्चतम न्ययायालय की जानकारी में लाएगा। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पत्र सं. 3/4/2020/एसडीआर/ खंड III दिनांक 6 मार्च, 2020 के माध्यम से जारी आयोग के दिशानिर्देशों को देखा जा सकता है।

17. अनुपस्थित मतदाताओं के लिए वैकल्पिक डाक मतपत्र की सुविधा-

निर्वाचन का संचालन नियमावली, 1961 के नियम 27क में 22.10.2019 और 19.06.120 की अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधन किया गया है। उक्त दो संशोधनों से "अनुपस्थित मतदाता" डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के पात्र बन गए हैं। "अनुपस्थित मतदाता" को निर्वाचनों का संचालन नियमावली, 1961 के नियम-27 क के खंड (कक) में परिभाषित किया गया है और इसमें आवश्यक सेवाओं में नियोजित व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 के संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के तहत केंद्र सरकार के परामर्श से अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी अधिसूचित की गई है। यह नोट किया जा सकता है कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27क के खंड (ङ) के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों का अर्थ अनुपस्थित मतदाताओं के वर्ग से संबंधित ऐसे निर्वाचक से है जिसकी आयु 65 से अधिक हो। तथापि, आयोग ने 16 जुलाई, 2020 के प्रेस नोट के तहत हाल ही संपन्न बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन और उप-निर्वाचनों में उन निर्वाचकों को वैकल्पिक डाक मतपत्र की सुविधा न दिए जाने का निर्णय लिया है जिनकी आयु 80 वर्ष से कम है।

वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और कोविड -19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं: -

1) डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की इच्छा रखने वाले अनुपस्थित मतदाता को

संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को फॉर्म -12घ में सभी विवरण प्रदान करते हुए आवेदन करना है। पोस्टल बैलेट सुविधा चाहने वाला ऐसा आवेदन निर्वाचन की घोषणा की तारीख से संबंधित चुनाव की अधिसूचना की तारीख से पांच दिन बाद तक की अवधि के दौरान रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचना चाहिए।

2) डाक मतपत्र का विकल्प चुनने वाले दिव्यांगजन की श्रेणी (एवीपीडी) से संबंधित अनुपस्थित मतदाताओं के मामले में, आवेदन (फॉर्म 12घ) के साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत संबंधित समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न होनी चाहिए।

3) बीएलओ द्वारा फॉर्म 12घ का वितरण:

   क) बीएलओ, पोलिंग स्टेशन क्षेत्र में आरओ द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे और संबंधित निर्वाचकों को प्रपत्र 12 घ वितरित करेंगे और उनसे पावती प्राप्त करेंगे।

   ख) बीएलओ निर्वाचकों से प्राप्त सभी पावतियों को आरओ के पास जमा करेगा।

   ग) यदि कोई निर्वाचक उपलब्ध नहीं है, तो बीएलओ अपने संपर्क विवरण साझा करेगा और अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर उसे एकत्र करने के लिए फिर से दौरा करेगा।

   घ) निर्वाचक पोस्टल बैलट का विकल्प चुन सकता है या नहीं भी चुन सकता है। यदि वह पोस्टल बैलट का विकल्प चुनता है, तो बीएलओ अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर निर्वाचक के घर से भरे हुए फॉर्म -12घ को एकत्रित करेगा और उसे रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करेगा।

   ङ) सेक्टर अधिकारी आरओ के समग्र पर्यवेक्षण के तहत बीएलओ द्वारा फॉर्म 12 घ के वितरण और संग्रह की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

4) इसके अलावा, आरओ उन सभी दिव्यांगजन और 80+ निर्वाचकों की सूची मुद्रित हार्डकॉपी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के साथ साझा करेगा, जिनके डाक मतपत्र की सुविधा का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 12घ के आवेदन उनके द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, ।

ये सभी विवरण ईसीआई के अनुदेश दिनांक 02 फरवरी, 2021 में पहले से ही शामिल हैं, जो eci.gov.in पर उपलब्ध है।

18. जिला, विधान सभा और बूथ स्तरीय निर्वाचन प्रबंधन योजना-

निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को एस.एस.पी./एस.पी. तथा सेक्टर अधिकारियों के परामर्श से रूट योजना और संचार योजना सहित व्यापक जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा गया है। इन योजनाओं की पुनरीक्षा प्रेक्षकों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की संवेदनशीलता एवं मैपिंग को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

19. संचार योजना -

आयोग निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए जिला/निर्वाचन-क्षेत्र स्तर पर एक उपयुक्त संचार योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने और मतदान के दिन समवर्ती हस्तक्षेप और मध्यकालिक संशोधन करने को बहुत महत्व देता है। उक्त प्रयोजन के लिए आयोग ने बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निदेश दिया है कि वे राज्य मुख्यालयों में दूरसंचार विभाग के अधिकारियों, बीएसएनएल/एमटीएनएल के प्राधिकारियों, राज्य के अन्य अग्रणी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करें ताकि राज्य में नेटवर्क स्थिति का आकलन किया जा सके और संचार शैडो क्षेत्रों की पहचान की जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे राज्य में सर्वश्रेष्ठ संचार योजना तैयार करें तथा सैटेलाइट फोन, वायरलेस सेट, विशेष रनर्स आदि उपलब्ध कराते हुए संचार शैडो क्षेत्रों में उपयुक्त वैकल्पिक प्रबंध करें।

20. आदर्श आचार संहिता-

निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानअसम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी राज्य में सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और सरकारों के संदर्भ में लागू हो जाएंगे। यह आदर्श आचार संहिता संघ सरकार पर भी लागू होगी, जहां तक इसका संबंध असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी के संबंध में/के लिए घोषणाएं करने/नीतिगत निर्णय लिए जाने से है।

आयोग ने एमसीसी दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्थाएं की है। इन दिशा-निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन से कड़ाई से निपटा जाएगा और आयोग इस बात पर पुन: जोर देता है कि इस बारे में समय-समय पर जारी अनुदेशों को सभी राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं/प्रतिनिधियों द्वारा पढ़ा व समझा जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति या सूचना या समझ/व्याख्या में कमी से बचा जा सके। निर्वाचन करवाए जाने वाले राज्यों की सरकारों को यह भी निदेश दिए गए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान सरकारी तंत्र/पद का दुरुपयोग न हो।

आयोग ने निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के शुरुआती 72 घंटों के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिए त्वरित, प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई करने के लिए भी और मतदान की समाप्ति से पूर्व आखिरी 72 घंटों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सख्त प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए भी अनुदेश जारी किए हैं। ये अनुदेश फील्ड निर्वाचन तंत्र द्वारा अनुपालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के रूप में जारी किए गए हैं।

21. वीडियोग्राफी/वेबकास्टिंग/सीसीटीवी कवरेज-

सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में वीडियो और डिजीटल कैमरे और कैमरा टीमों की व्यवस्था करेंगे। वीडियोग्राफी किए जाने वाले आयोजनों में नामनिर्देशन पत्र दाखिल करना और उनकी संवीक्षा करना और प्रतीकों का आबंटन, प्रथम स्तरीय जांच, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों को तैयार करना और उनका

भंडारण, निर्वाचन-अभियान के दौरान महत्वपूर्ण सार्वजनिक बैठकें, जुलूस आदि, डाक मतपत्रों के प्रेषण की प्रक्रिया, अभिचिह्नित संवेदनशील मतदान केन्द्रों में मतदान प्रक्रिया, मतदान में प्रयुक्त ईवीएम एवं वीवीपैट का भंडारण, मतों की गणना आदि शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, प्रभावी अनुवीक्षण और निगरानी करने के लिए महत्वपूर्ण सीमा चैक पोस्टों और स्थैतिक जांच बिन्दुओं पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, आयोग ने निदेश दिए हैं कि संवेदनशील मतदान बूथों और संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान बूथों के भीतर, मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता भंग किए बिना, मतदान दिवस पर कार्यवाहियों की बारीकी से जांच करने के लिए वेबकास्टिंग, सीसीटीवी कवरेज, वीडियोग्राफी और डिजीटल कैमरे लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी।

25 फरवरी 2021 को आयोग ने निदेश दिया है कि महत्वपूर्ण निर्वाचन केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों के सभी निर्वाचन केंद्रों में अथवा सहायक निर्वाचन केंद्रों सहित कुल निर्वाचन केंद्रों में से कम से कम 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी।

22. लोक उपद्रव को रोकने के उपाय-

आयोग ने निदेश दिया है कि निर्वाचन की घोषणा की तारीख से शुरू होने वाली और निर्वाचन-परिणामों की घोषणा के साथ समाप्त होने वाली सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन-प्रचार प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक बैठकों के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली या लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि एम्पलीफायर, चाहे किसी भी प्रकार के वाहनों पर फिट किए गए हों, या स्थैतिक स्थिति में हों, का रात्रि में अप. 10.00 बजे से पूर्वा. 6.00 बजे के बीच प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, किसी भी मतदान-क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी तरह के वाहनों पर फिट किए गए या किसी भी अन्य तरीके से लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

23. कानून और व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध तथा बलों की तैनाती-

निर्वाचनों के संचालन में विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन शामिल होता है जिसमें न केवल मतदान कर्मियों, मतदान केन्द्रों तथा मतदान सामग्री की सुरक्षा शामिल है, अपितु इसमें मतदान प्रक्रिया की समग्र सुरक्षा भी शामिल है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय तरीके से निर्वाचनों के सुचारू संचालन हेतु शांतिपूर्ण एवं अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती स्थानीय पुलिस बलों के अनुपूरक के रूप में की जाती है।

जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और अन्य राज्यों से ली गई राज्य सशस्त्र पुलिस (एसएपी) की इन निर्वाचनों के दौरान तैनात की जाएगी। क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित करने, संवेदनशील पॉकेटों में रूट मार्च करने, प्वाइंट पेट्रोलिंग करने तथा मतदाताओं, विशेषकर कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों आदि को आश्वस्त करने तथा उनके मन में विश्वास जगाने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की पहले से ही तैनाती की जाएगी। इलाके से भली-भांति अवगत होने और स्थानीय बलों के साथ तालमेल स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती समय से कर दी जाएगी तथा इन क्षेत्रों में मूवमेंट, प्रवर्तन कार्यकलापों आदि के लिए

अन्य सभी मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। विभिन्न पक्षों के परामर्श से असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जमीनी वास्तविकताओं के आकलन के आधार पर व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों एवं महत्वपूर्ण मतदान केन्द्रों में भी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/एसएपी की तैनाती की जाएगी। मतदान-दिवस की पूर्व-सन्ध्या पर, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/एसएपी संबंधित मतदान केन्द्रों में पोजिशन ले लेंगे और उन्हें नियंत्रण में ले लेंगे तथा वे मतदान के दिन मतदान केन्द्रों की सुरक्षा करने तथा निर्वाचकों एवं मतदान कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, इन बलों का उन स्ट्राँग रूमों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जहां ईवीएम एवं वीवीपैट का भंडारण किया जाता है। इनका मतगणना केन्द्रों की सुरक्षा के लिए और जरूरत पड़ने पर अन्य प्रयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। विधान सभा खंडों में बलों की संपूर्ण तैनाती आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षकों के पर्यवेक्षणाधीन होगी।

राज्य पुलिस पदाधिकारी और सीपीएफ का इष्टतम तथा प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने निदेश दिया है कि सीईओ, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और राज्य सीपीएफ की एक समिति मिलकर निर्वाचन सुरक्षा योजना तय करने और राज्य पुलिस एवं सीपीएफ का यादृच्छिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करेंगे।

24. अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य कमजोर वर्गों के निर्वाचकों को सुरक्षा प्रदान करना-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (2015 में यथा-संशोधित) की धारा 3(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित रीति से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए, या एक अभ्यर्थी आदि के रूप में खड़ा नहीं होने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा; वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा। आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी से कहा है कि वे इन उपबंधों को, इन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई किए जाने के लिए, सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं। संवेदनशील वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के मतदाताओं में आत्मविश्वास जगाने तथा मतदान प्रक्रिया की शुचिता तथा विश्वसनीयता में उनकी धारणा तथा विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/एसएपी को ऐसे क्षेत्रों में गश्त करने, रूट मार्च करने तथा केन्द्रीय प्रेक्षकों के पर्यवेक्षण में विश्वास बढ़ाने संबंधी अन्य आवश्यक उपायों के लिए व्यापक रूप से तथा बढ़-चढ़ कर उपयोग में लाया जाएगा।

केंद्रीय पुलिस बल (सीपीएफ) को उन सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में भेजा जाता है जहां लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन होने हैं ताकि वे विशेषकर महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील उन क्षेत्रों में पहले से ही वर्चस्व बना सके, जिनकी पहचान अग्रिम सूक्ष्म समीक्षाएं और राजनैतिक दलों तथा संस्थाओं सहित विभिन्न स्रोतों से ठोस सूचना (फीडबैक) प्राप्त करके की जाती है।

लोक सभा निर्वाचन 2019 के दौरान, केंद्रीय बल सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भेजे गए थे और ऐसा ही उन सभी राज्यों के निर्वाचनों में दिया गया है, जहां निर्वाचन कराए जा रहे हैं। वर्तमान मामले मे भी सीपीएफ सभी चार राज्यों नामत: असम, केरल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा एक संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी, जहां विधान सभा निर्वाचन होने हैं, में भेजे जा रहे हैं। मीडिया के लिए यह जानना रूचिकर हो सकता है कि सीपीएफ की तैनाती के ये आदेश इस सभी पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों, डीजीपी और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक ही दिन अर्थात 16 फरवरी 2021 को जारी किए गए थे।

25. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण-

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुवीक्षण के प्रयोजन से व्यापक अनुदेश जारी किए गए हैं, जिसमें उड़न दस्तों (एफएस), स्थैतिक निगरानी टीम (एसएसटी), वीडियो निगरानी दलों (वीएसटी) का गठन, राज्य पुलिस की सहभागिता, आयकर विभाग का अन्वेषण निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईआईएनडी), डीआरआई, आरपीएफ, वाणिज्य कर विभाग तथा नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो आदि की सहभागिता शामिल है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भण्डारण तथा मुफ्त में सामान देकर प्रलोभन दिए जाने पर निगरानी रखने को कहा गया है। जीपीएस ट्रैकिंग एवं सी-विजिल एप का उपयोग करते हुए उड़न दस्तों/मोबाइल दलों के काम-काज तथा प्रचालनों का गहनता से अनुवीक्षण किया जाएगा। इस संबंध में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए और निर्वाचन खर्चों के अनुवीक्षण-कार्य की सहूलियत के लिए अभ्यर्थियों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे एक पृथक बैंक खाता खोलें और उस खाता-विशेष से ही अपने निर्वाचन खर्चों को पूरा करें। आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय को कहा गया है कि वे राज्य के हवाई अडडों में हवाई आसूचना इकाइयां खोलें और आसूचना भी जुटाएं तथा असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में भारी मात्रा में धनराशि की आवाजाही के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।

व्यय अनुवीक्षण तंत्र को सशक्त करने के लिए आयोग द्वारा उठाई गई कुछ नई पहल निम्नलिखित हैं:

(1) <u>नकदी जब्त करने एवं अवमुक्त करने के लिए मानक प्रचालन प्रणाली (एसओपी):</u>

निर्वाचनों की शुचिता बनाए रखने के प्रयोजनार्थ, भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन-क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचार खर्चों, रिश्वत की वस्तुओं का नकद या वस्तुगत रूप में वितरण करने, अवैध हथियारों, गोला-बारूद, मदिरा, या असामाजिक तत्वों आदि के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए गठित उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी दलों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अतिरिक्त, जनसाधारण को असुविधा से बचाने और उनकी शिकायतों, यदि कोई हों, का निवारण करने के लिए आयोग ने दिनांक 29.05.2015 के अपने अनुदेश सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खंड- II के जरिए अनुदेश दिया है कि जिले के तीन अधिकारियों, नामत: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/समुदाय विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, डीआरडीए (ii) जिला निर्वाचन कार्यालय में व्यय

अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी (संयोजक) और (iii) जिला कोषागार अधिकारी से युक्त एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति पुलिस या एसएसटी या एफएस द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वयंमेव जांच करेगी और समिति जहां पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के प्रति कोई एफआईआर/शिकायत दाखिल नहीं की गई है या जहां जब्ती कोई अभ्यर्थी या राजनैतिक दल या कोई निर्वाचन अभियान आदि से जुड़ी हुई नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिसमें नकदी जब्त की गई थी, वह नकदी आदि रिलीज करने के लिए, उस आशय का सकारण आदेश पारित करने के उपरांत, तत्काल कदम उठाएगी। किसी भी परिस्थिति में जब्त नकदी/जब्त मूल्यवान वस्तुओं से संबंधित मामले को मतदान की तारीख के बाद 7 (सात) से अधिक दिनों के लिए मालखाने या कोषागार में तब तक लंबित नहीं रखा जाएगा जब तक कि कोई एफआईआर/शिकायत न दायर की गई हो।

(2) **<u>प्रचार वाहनों के लिए उपगत व्यय का लेखांकन</u> -**

आयोग के ध्यान में यह आया है कि अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी से प्रचार के प्रयोजनार्थ वाहनों के उपयोग की अनुमति लेते हैं परंतु कुछ अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय लेखा में वाहन भाड़े पर लेने का शुल्क या ईंधन व्यय नहीं दिखाते हैं। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब तक अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी को वाहन को प्रचार से हटाने की सूचना नहीं देता, तब तक प्रचार वाहनों के मद में कल्पित व्यय की गणना वाहनों की उस संख्या के आधार पर की जाएगी जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

(3) **<u>लेखा समाधान बैठक:</u>** व्यय लेखे से संबंधित मुकदमों को कम करने के लिए लेखे के अंतिम प्रस्तुतीकरण से पहले, परिणामों की घोषणा के बाद उप निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 26वें दिन, एक लेखा-समाधान बैठक आयोजित की जाएगी।

(4) **<u>आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रचार-प्रसार का लेखांकन</u>:** माननीय उच्चतम न्यायालय की वर्ष 2011 की रिट याचिका (सि) संख्या 536, दिनांक 25.09.2018 के निर्णय के अनुसरण में अभ्यर्थी के साथ - साथ संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में इलाके में व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करेगा और नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने के बाद कम से कम तीन बार इलेक्ट्रानिक मीडिया में उसका व्यापक प्रचार प्रसार करेगा। अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित है कि वे इस संबंध में उनके द्वारा उपगत व्यय का रखरखाव करें और उसका परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे के साथ संबंधित डीईओ को उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले निर्वाचन व्यय के उनके सार विवरण में उल्लेख किया जाएगा। राजनैतिक दलों से भी अपेक्षित है कि वे विधान सभा निर्वाचन पूर्ण होने के 75 दिनों के भीतर ईसीआई (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों/सीईओ (गैर-मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल) को प्रस्तुत किए जाने वाले अपने निर्वाचन व्यय के विवरण में इस संबंध में उनके द्वारा उपगत व्यय को दर्शाएं।

(5) **<u>अभ्यर्थी बूथ/(कियॉस्क) और अभ्यर्थी की निर्वाचकीय संभावनाओं को बढावा देने के लिए दल के स्वामित्व वाले टीवी/केबल चैनल/समाचार पत्र पर उपगत व्यय अभ्यर्थियों के निर्वाचन लेखे</u>**

<u>में सम्मिलित किए जाने हैं:</u>

आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के संगत उपबंधों की आगे जांच करने पर निर्णय लिया था कि मतदान केन्द्रों के बाहर स्थापित अभ्यर्थियों के बूथ, इसके बाद से, अभ्यर्थियों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रचार के भाग के रूप में स्थापित किए गए माने जाने चाहिए न कि सामान्य दलीय प्रचार के द्वारा और अभ्यर्थियों के ऐसे बूथों पर उपगत सभी व्यय अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत/अधिकृत किए गए माने जाएंगे ताकि उन्हें निर्वाचन खर्च के उनके लेखे में शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने उपर्युक्त मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संदर्भों/शिकायतों पर विचार करने के उपरांत निदेश दिया है कि यदि अभ्यर्थी (अभ्यर्थीगण) या उनके प्रायोजक दल अभ्यर्थी की निर्वाचकीय संभावनाओं को बढावा देने के लिए अपने स्वामित्व वाले टीवी/केबल चैनल/समाचार पत्र का उपयोग करते हैं तो उसके निमित्त खर्च को चैनल/समाचार पत्र के मानक रेट कार्ड्स के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय विवरण में शामिल करना होगा, चाहे उन्होंने चैनल/समाचार पत्र को वास्तव में कोई धनराशि का भुगतान किया हो या नहीं। आयोग के पूर्वोक्त निर्णयों के अनुसरण में, निर्वाचन व्यय के सार विवरण में अनुसूची 6 और अनुसूची 4 में संशोधन कर दिया गया है और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार-संग्रह में तदनुरूप समाविष्ट कर दिया गया है।

(6) <u>राजनैतिक दलों द्वारा अंतिम लेखे:</u>

विधान सभा निर्वाचनों के लिए अभ्यर्थियों को प्रायोजित करने वाले सभी राजनैतिक दलों के लिए अपेक्षित है कि वे सभी निर्वाचन अभियान खर्चों के दिन-प्रतिदिन के लेखे को अनुरक्षित करें और ऐसे निर्वाचनों के पूरा होने के 75 दिनों के भीतर आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अन्तिम लेखे प्रस्तुत करें। ऐसे लेखे आयोग की वेबसाइट पर जन सामान्य के द्वारा देखे जाने के लिए अपलोड किए जाएंगे। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लेखे की पारदर्शिता और पुनर्मिलान हेतु राजनैतिक दलों द्वारा अभ्यर्थियों को एकमुश्त भुगतान किए जाने के संबंध में निर्वाचन व्यय की अंतिम विवरणी के अतिरिक्त आंशिक निर्वाचन व्यय विवरण को विहित फार्मेट में विधान सभा निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के अंदर दाखिल करना होता है।

26. मीडिया का प्रभावी उपयोग-

(1) <u>मीडिया परिनियोजन:</u>

आयोग ने हमेशा मीडिया को एक महत्वपूर्ण सहयोगी और प्रभावी एवं कुशल निर्वाचन प्रबंधन सुनिश्चित करने में एक सशक्त बल प्रवर्धक माना है। इसलिए, आयोग ने **निर्वाचन होने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात असम, केरल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पडुचेरी** के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया है कि वे मीडिया के साथ सकारात्मक और प्रगतिशील संबंध बनाने एवं इंटरएक्शन करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें:

(i) निर्वाचनों के दौरान मीडिया के साथ नियमित परस्पर वार्ता (इंटरएक्शन) और मीडिया के साथ हर समय एक प्रभावी और सकारात्मक संवाद बनाए रखना।

(ii) निर्वाचन संहिता के बारे में मीडिया को जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम।

(iii) मतदान के दिन और मतगणना के दिन के लिए सभी प्रत्यायित मीडिया को प्राधिकार-पत्र जारी किए जाएंगे।

मीडिया से यह भी आशा की जाती है कि वे अपने सभी निर्वाचन संबंधी कवरेज के दौरान कोविड-19 नियंत्रक उपायों के संबंध में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सभी मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 के दौरान निर्वाचनों के संचालन के संदर्भ में 21 अगस्त, 2020 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश भी मतदान और मतगणना आदि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया का कवरेज करने के लिए मीडियाकर्मियों को आने देते समय लागू होंगे।

(2) <u>राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन और पेड न्यूज के संदेहास्पद मामलों की निगरानी:</u>

सभी जिलों और राज्यीय स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियां (एमसीएमसी) बनाई गई हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया पर जारी होने हेतु प्रस्तावित सभी राजनैतिक विज्ञापनों के संबंध में संबंधित मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति से पूर्व-प्रमाणन अपेक्षित होगा।

गैर-सरकारी एफएम चैनल/सिनेमा हॉल/सार्वजनिक स्थानों में दृश्य-श्रव्य डिस्प्ले/वायस संदेश में राजनैतिक विज्ञापन और फोन एवं सोशल मीडिया तथा इंटरनेट वेबसाइट पर एक साथ बडी संख्या में एसएमएस सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/टीवी चैनल/केबल नेटवर्क/रेडियो पूर्व-प्रमाणन के दायरे में आएंगे।

एमसीएमसी मीडिया में पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर कड़ी निगरानी रखेगी तथा सभी सम्यक् प्रक्रियाओं का पालन करने के उपरांत पुष्ट मामलों में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(3) <u>निर्वाचन में सोशल मीडिया का उपयोग:</u>

सोशल मीडिया के दुरूपयोग के बढ़ते हुए दृष्टांतों तथा पेड न्यूज की चुनौतियों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग की पुरजोर कोशिश के परिणामस्वरूप बड़े-बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने मार्च, 2019 से उनके द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक नीतिशास्त्र संहिता का अनुसरण करने हेतु सहमति जताई। यह हाल ही संपन्न अन्य निर्वाचनों की भांति इन निर्वाचनों पर भी लागू होगा।

आयोग सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों से अनुरोध करता है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सोशल मिडिया पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है कि उनके समर्थक घृणात्मक भाषणों और जाली खबरों में संलिप्त न हों। यह सुनिश्चित करने कि निर्वाचन का माहौल दूषित न हो।

(4) <u>इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की निगरानी:</u>

निर्वाचनों के दौरान सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों पर निर्वाचन प्रबंधन संबंधी सभी समाचारों की गहन जाँच की जाएगी। यदि किसी अप्रिय घटना या किसी कानून/नियम के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अनुवीक्षण की रिपोर्ट संबंधित सीईओ को भी अग्रेषित की जाएगी। सीईओ का कार्यालय प्रत्येक मद पर वस्तुस्थिति का अभिनिश्चय करेगा और एटीआर/स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करेगा।

27. निर्वाचन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण-

निर्वाचन होने वाले पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक एसएलएमटी एवं एसएलएनओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आरओ एवंम एआरओ के लिए प्रमाणन कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) ने असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आगामी साधारण निर्वाचन से जुड़े हुए विभिन्न निर्वाचन प्राधिकारियों के लिए ऑनलाइन/आफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से आईआईआईडीईएम में इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए फिजिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने व्यावहारिक नहीं थे। अत: आईआईआईडीईएम ने निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए निम्नानुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए:

(1) एसएलएमटी और एसएलएनओ के लिए थीम-वार प्रशिक्षण कार्यक्रम।
(2) कोविड दिशानिर्देशों के संबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम।
(3) निर्वाचनरत संबंद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर आरओ तथा एआरओ के लिए प्रमाणन कार्यक्रम।

संबंद्ध राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(क) पश्चिम बंगाल के आरओ के लिए प्रमाणन कार्यक्रम
(ख) असम के आरओ के लिए प्रमाणन कार्यक्रम
(ग) तमिलनाडु के आरओ के लिए प्रमाणन कार्यक्रम
(घ) केरल के आरओ के लिए प्रमाणन कार्यक्रम
(ङ) पुडुचेरी के आरओ के लिए प्रमाणन कार्यक्रम

(4) असम के एसएलएमटी के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

(5) 15 से 16 फरवरी 2021 से निर्वाचनरत चार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के उप निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कुल 192 प्रतिभागियों को डीईएमपी, संवेदनशीलता मानचित्रण, आदर्श आचार संहिता, कानून एवं व्यवस्था, एमसीएमसी तथा पेड न्यूज जैसे विषयों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया था।

(6) 18 से 19 फरवरी, 2021 तक असम के उप निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) तथा रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के विषय डीईएमपी, संवेदनशीलता मानचित्रण, आदर्श आचार संहिता, कानून एवं व्यवस्था, एमसीएमसी, पेड न्यूज, स्वीप एवं मतदान दिवस पर की जाने वाली व्यवस्थाएं शामिल हैं।

28. सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) -

आयोग सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार को साकार करने के अपने प्रयास में 'कोई भी मतदाता न छूटे' के सिद्धांत पर कार्य करता है।

राज्यों में आगामी विधान सभा निर्वाचन, 2021 के लिए स्वीप का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बीच मतदाताओं की सुरक्षित और अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

महामारी की विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचनों के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षोपायों को प्रचारित करने के लिए लोगों तक पहुंचने के विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों तक पहुंच संबंधी सभी कार्यकलापों के संपर्करहित और डिजिटल साधनों जैसे कि टेलीविजन, प्रिंट, सोशल मीडिया आदि को वरीयता दी जा रही है। ईवीएम-वीवीपैट के संपर्करहित जागरूकता और प्रदर्शन के लिए विशिष्ट जागरूकता अभियान ***चलाए जा रहे हैं।***

मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों में मतदाता सुविधा केन्द्रों को सक्रिय किया जाएगा। मतदाताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूरे देश में **वोटर हेल्पलाइन - 1950** सक्रिय है और इसके अलावा, 'वोटर हेल्पलाइन एप' का भी शुभारंभ किया गया है। निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) में निर्वाचकों को अपना नाम सत्यापित करने में समर्थ बनाने के लिए 1950 पर एसएमएस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

'न्यूनतम मतदान प्रतिशत' वाले मतदान केन्द्रों की पहचान की गई है और कम मतदान प्रतिशत रहने के संभावित कारणों का विश्लेषण किया गया और प्रवर्धित आईएमएफ (सूचना, प्रेरणा और सुविधा) संबंधी निष्कर्षों पर आधारित लक्षित कार्यकलाप आरंभ किए जा रहे हैं ताकि 'कोई भी मतदाता न छूटे' के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

लक्षित समूहों जैसे युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, प्रवासी (एनआरआई) मतदाताओं, सेवा कार्मिकों, प्रवासियों (विशेषकर कोविड-19 की वजह से प्रवजन करने वाले) तथा ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष आउटरीच कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

आयोग के डिजिटल आउटरीच संबंधी कार्यकलापों के विस्तार क्षेत्र का दायरा बढ़ाते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2021 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग की एक पहल 'हेलो वोटर्स' वेब रेडियो का शुभारंभ किया। इस 24X7 ऑनलाइन वेब रेडियो से भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के संबंध में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।

29. केन्द्रीय प्रेक्षकों की तैनाती-

(1) <u>सामान्य प्रेक्षक</u>

आयोग निर्वाचनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सामान्य प्रेक्षकों के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों को तैनात करेगा। प्रेक्षकों से कहा जाएगा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर पैनी नजर रखें।

(2) <u>पुलिस प्रेक्षक</u>

आयोग आवश्यकता के आधार पर ने जिला/विधान सभा स्तरों पर, यथापेक्षित, जिला/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की जमीनी स्थिति की जरूरत, संवेदनशीलता और आकलन के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पुलिस प्रेक्षकों के रूप में नियुक्त करेगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए वे बलों की तैनाती, कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित सभी कार्यकलापों का अनुवीक्षण करने के साथ-साथ नागरिक और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।

(3) <u>विशेष प्रेक्षक:</u>

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा इसे प्रदत्त पूर्णाधिकारों का प्रयोग करते हुए आयोग विशेष प्रेक्षकों की नियुक्ति करता है जो अखिल भारतीय सेवाओं और विभिन्न केंद्रीय सेवाओं से आते हैं।

(4) <u>व्यय प्रेक्षक</u>

आयोग ने पर्याप्त संख्या में व्यय प्रेक्षकों एवं सहायक व्यय प्रेक्षकों को नियुक्त करने का निर्णय भी लिया है जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का अनन्य रूप से अनुवीक्षण करेंगे। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 24 घण्टे टोल फ्री नम्बरों के साथ नियंत्रण कक्ष एवं शिकायत अनुवीक्षण केंद्र कार्यशील होंगे। बैंकों एवं भारत सरकार की वित्तीय आसूचना ईकाइयों से संदेहास्पद नकदी निकासी रिपोर्टें निर्वाचन अधिकारियों को अग्रेषित करने के लिए कहा गया है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुवीक्षण के उद्देश्य के लिए विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए गए हैं और ये भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (https://eci.gov.in/) पर उपलब्ध हैं।

(5) <u>माइक्रो आब्जर्वर्स</u>

विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों में मतदान वाले दिन मतदान की कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण करने के लिए सामान्य प्रेक्षक, केंद्रीय सरकार/लोक उपक्रमों के अधिकारियों में से माइक्रो आब्जर्वर्स नियुक्त करेंगे। माइक्रो आब्ज़र्वर मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों पर छद्म मतदान के आयोजन से लेकर मतदान के पूरे होने तक की कार्यवाहियों, ईवीएम एवं वीवीपैट सील करने की प्रक्रिया और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयोग के सभी अनुदेशों का मतदान दलों और मतदान अभिकर्ताओं द्वारा अनुपालन किया जाए। वे अपने आबंटित मतदान केंद्रों में मतदान कार्यवाहियों में कोई गड़बड़ी होने के संबंध में सामान्य प्रेक्षकों को सीधे रिपोर्ट करेंगे।

30. निर्वाचन प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग-

आयोग ने अधिकाधिक नागरिक सहभागिता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आईटी एप्लीकेशनों का उपयोग बढ़ाया है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों की वृहत्तर भागीदारी और समावेशन की शुरुआत की है। कोविड - 19 महामारी से निपटने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया और प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रयुक्त की जाने वाली सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी जा रही है:

1) अभ्यर्थी ऑनलाइन नामनिर्देशन:

सहज और सटीक नामनिर्देशन दर्ज करने में सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन नामनिर्देशन सुविधा एक वैकल्पिक सुविधा है। यह अभ्यर्थी का मार्गदर्शन भी करती है ताकि संगत सूचना सूचना भरने से न रह जाए। कानून के तहत निर्धारित नियमित ऑफ़लाइन प्रेषण भी जारी रहेगा।

अभ्यर्थी अनुमतियाँ मॉड्यूल: अनुमति मॉड्यूल अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों या अभ्यर्थी के किसी भी प्रतिनिधि को सुविधा पोर्टल https://suvidha.eci.gov.in के माध्यम से बैठकों, रैलियों, लाउडस्पीकरों, अस्थायी कार्यालयों और अन्य के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देता है। अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति को उसी पोर्टल के माध्यम से और **सुविधा अभ्यर्थी ऐप** का उपयोग करके भी ट्रैक कर सकते हैं।

अभ्यर्थी शपथ पत्र पोर्टल: निर्वाचन में खड़े अभ्यर्थियों की प्रोफाइल, नामनिर्देशन की स्थिति और शपथ-पत्रों सहित उनकी पूरी सूची अभ्यर्थी शपथ-पत्र पोर्टल: https://affidavit.eci.gov.in/ के माध्यम से जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध होगी।

2) सेवा मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस):

इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) में सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से बिना भरा हुआ (ब्लैंक) मतपत्र प्रेषित किया जाएगा। सेवा मतदाता स्पीड पोस्ट के जरिए अपना वोट (मत) भेज सकते हैं। यह एप प्राधिकारियों द्वारा द्रुत और प्रभारी कार्यवाहियां करने में सहायक है तथा 100 मिनट में प्रयोक्ता स्थिति रिपोर्ट

प्रदान की।

3) **नागरिकों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को दायर करने के लिए सी-विजिल अनुप्रयोग**:

सी-विजिल एप नागरिक को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके किसी घटना का फोटो या वीडियो क्लिक करने में समर्थ बनाकर आदर्श आचार संहिता/निर्वाचन व्यय के किसी भी उल्लंघन का समय-अंकित साक्ष्यपरक प्रमाण उपलब्ध कराता है।

यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। एन्ड्रायड के लिए यूआरएल: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.nic.eci.cvigil&hl=en_IN और आईओएस (ऐप स्टोर): https://apps.apple.com/in/app/cvigil/id1455719541

4) **दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) एप्लीकेशन:**

दिव्यांगजन निर्वाचक स्वयं को दिव्यांग के रूप में दर्ज करने, नया रजिस्ट्रेशन करने, स्थानांतरण करने, एपिक विवरण में सुधार करने और व्हीलचेयर की व्यवस्था करने का अनुरोध कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है: https://play.google.com/store/apps/details?id=pwd.eci.com.pwdapp&hl=en_IN तथा एप स्टोर: https://apps.apple.com/in/app/pwd-app/id1497864568

5) **एन्कोर काउंटिंग**:

एन्कोर काउंटिंग एप्लीकेशन http://encore.eci.gov.in/ रिटर्निंग अधिकारियों के लिए डाले गए मतों को डिजिटलीकृत करने, चरण-वार डेटा को तालिकाबद्ध करने और मतगणना की विभिन्न सांविधिक रिपोर्टों को प्राप्त करने के लिए एक एंड-टू-एंड एप्लीकेशन है।

6) **परिणाम वेबसाइट और परिणाम रुझान टीवी:**

प्रामाणिक आंकड़ों के एकल स्रोत की स्थापना के लिए चरण-वार सूचना का समय पूर्वक प्रकाशन महत्वपूर्ण है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया मत गणना डेटा 'ईसीआई परिणाम वेबसाइट' http://results.eci.gov.in/ के माध्यम से जनता के अवलोकनार्थ 'रुझान और परिणाम' के रूप में उपलब्ध है।

7) **ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस):**

ईवीएम प्रबंधन प्रणाली को ईवीएम यूनिटों की माल-सूची को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

8. **मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल एप, मतदाता पोर्टल (निर्वाचक सेवाओं के लिए एक ही फॉर्म) और एनवीएसपी**

एनवीएसपी (https://www.nvsp.in) के जरिए कोई भी प्रयोक्ता अन्य सेवाओं के साथ साथ अन्य विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकता है और इन तक पहुंच सकता है जैसे निर्वाचक सूची देखना, मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना, मतदाता पहचान पत्र में संशोधन

हेतु ऑनलाइन आवेदन करना, मतदान केंद्र, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा देखना तथा बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी का संपर्क ब्यौरा प्राप्त करना।

9) **व्यय की निगरानी:** यह निर्वाचन व्यय के लेखा के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए एन्कोर https://encore.eci.gov.in/ का हिस्सा है जिसे अभ्यर्थी द्वारा परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है।

31. अधिकारियों का आचरण:

आयोग, निर्वाचनों के संचालन में कार्यरत सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से बिना किसी भय या पक्षपात के निर्वहन करें। उन्हें आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है और वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे। उन सभी सरकारी अधिकारियों का आचरण, जिन्हें निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारी और कर्तव्य सौंपे गए हैं, निरंतर आयोग की संवीक्षा के अधीन रहेगा तथा उन अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिनके कार्य निष्पादन में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग की अनुसंशा पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिनांक 8 फरवरी, 2021 को ये आदेश जारी किए हैं कि सभी निर्वाचन पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में माना जाएगा और दिनांक 01.03.2021 से इनका कोविड-19 के लिए टीकाकरण किया जाएगा।

32. साधारण निर्वाचन की अनुसूचियां

आयोग ने जलवायु की स्थिति, शैक्षणिक कैलेंडर, बोर्ड परीक्षा, प्रमुख त्यौहारों, राज्य में कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति, केंद्रीय पुलिस फोर्स की उपलब्धता, मूवमेंट के लिए आवश्यक समय, केंद्रीय पुलिस बलों की उपलब्धता, बलों की मूवमेंट और समयबद्ध तैनाती जैसे सभी संगत पहलुओं पर विचार करने तथा अन्य संगत जमीनी हकीकतों का गहन आकलन करने के उपरांत असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूचियां तैयार की हैं।

कोविड-19 के मद्देनजर आयोग ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों में आने वाले विधान सभा क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी विधान सभा निर्वाचनों में मतदान के समय को 1 घंटा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के उपरांत आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की राज्य विधान सभाओं के राज्यपाल को **अनुबंध-1-5** के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत साधारण निर्वाचनों के लिए अधिसूचना

जारी करने हेतु सिफारिश करने का निर्णय लिया है।

आयोग निर्वाचन प्रक्रिया में सभी सम्मानित स्टेकहोल्डरों का सक्रिय सहयोग, घनिष्ठ भागीदारी और रचनात्मक साझेदारी चाहता है और असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में सहज, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सहभागी और उल्लासपूर्ण साधारण विधान सभा निर्वाचन, 2021 संपन्न कराने में सामूहिक तालमेल से काम कराने का भरसक प्रयास करेगा।

हस्ता./-
(सुमित मुखर्जी)
वरिष्ठ प्रधान सचिव

अनुबंध-1

अनुसूची

क: असम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचनों की अनुसूची

मतदान कार्यक्रम	चरण-I (47 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)	चरण-II (39 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)	चरण-III (40 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)
अधिसूचना जारी करने की तिथि	02.03.2021 (मंगलवार)	05.03.2021 (शुक्रवार)	12.03.2021 (शुक्रवार)
नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख	09.03.2021 (मंगलवार)	12.03.2021 (शुक्रवार)	19.03.2021 (शुक्रवार)
संवीक्षा की तारीख	10.03.2021 (बुधवार)	15.03.2021 (सोमवार)	20.03.2021 (शनिवार)
अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख	12.03.2021 (शुक्रवार)	17.03.2021 (बुधवार)	22.03.2021 (सोमवार)
मतदान की तारीख	**27.03.2021 (शनिवार)**	**01.04.2021 (गुरूवार)**	**06.04.2021 (मंगलवार)**
मतगणना की तारीख	02.05.2021 (रविवार)	02.05.2021 (रविवार)	02.05.2021 (रविवार)
मतदान संपन्न होने की तारीख	04.05.2021 (मंगलवार)	04.05.2021 (मंगलवार)	04.05.2021 (मंगलवार)

*** उन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण संलग्न है, जहां चरणों में मतदान आयोजित किए जाएंगे।**

असम के सैंतालीस (47) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 1 के अनुसार चरण-I में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	71-धेकियाजुली
2.	72-बड़छल्ला
3.	73-तेजपुर
4.	74-रंगापारा
5.	75-सूतिया
6.	76-विश्वनाथ
7.	77-बेहाली
8.	78-गोहपुर
9.	83-धिंग
10.	84-बाटाद्रोवा
11.	85-रूपोहीहाट
12.	88-सामगुड़ी
13.	89-कलियाबोर
14.	93-बोकाखाट
15.	94-सरूपठार
16.	95-गोलाघाट
17.	96-खुम्ताई
18.	97-देरगाँव (अ.जा.)
19.	98-जोरहट
20.	99-मजुली (अ.ज.जा.)
21.	100-टीटाबार
22.	101-मरियानी
23.	102-टेओक
24.	103-अमगुरी
25.	104-नाजिरा
26.	105-महमारा
27.	106-सोनारी
28.	107-थोवरा
29.	108-सिबसागर
30.	109-बिहपुरिया
31.	110-नाओवोइछा
32.	111-लखिमपुर
33.	112-धकुआखाना (अ.ज.जा.)
34.	113-धेमाजी (अ.ज.जा.)
35.	114-जोनाई (अ.ज.जा.)
36.	115-मोरन

37.	116-डिब्रुगढ़
38.	117-लाहोबल
39.	118-दुलिआजन
40.	119-टिन्गखौंग
41.	120-नाहरकटिया
42.	121-छाबुआ
43.	122-तिनसुकिया
44.	123-दिग्बोई
45.	124-मरघेरिता
46.	125-डूम-डूमा
47.	126-सदिया

असम के उनतालीस (39) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 1 के अनुसार चरण-।। में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	1-रतबाड़ी (अ.जा.)
2.	2-पाथर कण्डी
3.	3-करीमगंज उत्तर
4.	4-करीमगंज दक्षिण
5.	5-बदरपुर
6.	6-हैलाकण्डी
7.	7-कटलिचेरा
8.	8-अल्गापुर
9.	9-सिल्चर
10.	10-सोनाई
11.	11-धोलाई (अ.जा.)
12.	12-उधरबोण्ड
13.	13-लखिपुर
14.	14-बड़खोला
15.	15-कटिगोरा
16.	16-हाफलोंग (अ.ज.जा.)
17.	17-बोकाजन (अ.ज.जा.)
18.	18-हौवराघाट (अ.ज.जा.)
19.	19-डिफु(अ.ज.जा.)
20.	20-बैठालंगसो (अ.ज.जा.)
21.	56-कमलपुर
22.	57-रंगिया
23.	59-नल्बाड़ी
24.	64-पानेरी
25.	65-कलाईगांव
26.	66-सिपाझाड़
27.	67-मंगलदाई (अ.जा.)
28.	68-दलगांव
29.	69-उदलगुरी (अ.ज.जा.)
30.	70-मजबत
31.	79-जगिरोड (अ.जा.)
32.	80-मरिगांव
33.	81-लहरीघाट
34.	82-राहा (अ.जा.)
35.	86-नौगोंग
36.	87-बरहामपुर
37.	90-जमुनामुख
38.	91-होजाई
39.	92-लुम्डिंग

असम के चालीस (40) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची जहां अनुबंध - 1 के अनुसार चरण-।।। में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	21-मनकछार
2.	22-साल्मारा दक्षिण
3.	23-धुब्री
4.	24-गोरीपुर
5.	25-गोलकगंज
6.	26-बिलासिपारा पश्चिम
7.	27-बिलासिपारा पूर्व
8.	28-गोस्साई गाँव
9.	29-कोक्राझाड़ पश्चिम (अ.ज.जा.)
10.	30-कोक्राझाड़ पूर्व (अ.ज.जा)
11.	31-सिड़ली (अ.ज.जा.)
12.	32-बोंगईगांव
13.	33-बिज्नी
14.	34-अभयपुरी उत्तर
15.	35-अभयपुरी दक्षिण (अ.जा.)
16.	36-दुधनाई (अ.ज.जा.)
17.	37-गोलपारा पूर्व
18.	38-गोलपारा पश्चिम
19.	39-जलेस्वर
20.	40-सोरभोग
21.	41-भबानीपुर
22.	42-पाटाछार कुछी
23.	43-बारपेटा
24.	44-जनिया
25.	45-बाघबर
26.	46-सरूखेत्री
27.	47-चेगा
28.	48-बोको (अ.जा.)
29.	49-चयगांव
30.	50-पालसबाड़ी
31.	51-जलुकबाड़ी
32.	52-दिसपुर
33.	53-गौहाटी पूर्व
34.	54-गौहाटी पश्चिम
35.	55-हाजो
36.	58-तमुलपुर
37.	60-बड़खेत्री
38.	61-धर्मपुर
39.	62-बरमा (अ.ज.जा.)
40.	63-चापागुरी (अ.ज.जा.)

अनुबंध-2

अनुसूची

क: केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचनों की अनुसूची

मतदान कार्यक्रम	**एकल चरण** **(सभी 140 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)**
अधिसूचना जारी करने की तिथि	12.03.2021 (शुक्रवार)
नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख	19.03.2021 (शुक्रवार)
संवीक्षा की तारीख	20.03.2021 (शनिवार)
अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख	22.03.2021 (सोमवार)
मतदान की तारीख	**06.04.2021** **(मंगलवार)**
मतगणना की तारीख	02.05.2021 (रविवार)
मतदान संपन्न होने की तारीख	04.05.2021 (मंगलवार)

*** उन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण जहां मतदान आयोजित किए जाएंगे।**

केरल के एक सौ चालीस (140) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 2 के अनुसार एकल चरण में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	1 - मंजेश्वर
2.	2 - कासरागोड (अ.जा.)
3.	3 - उदमा
4.	4 - कन्हानगड
5.	5 - त्रिक्करिप्पूर
6.	6 - पय्यन्नूर
7.	7 - कल्लियास्सेरी
8.	8 - तलिपरम्बा
9.	9 - इरिक्कूर
10.	10 - अजीकोड
11.	11 - कन्नूर
12.	12 - धर्मडम
13.	13 - तलस्सेरी
14.	14 - कूथुपरम्बा
15.	15 - मट्टन्नूर
16.	16 - पेरावूर
17.	17 - मानंथवाडी (अ.ज.जा.)
18.	18 - सुल्तानबथेरी (अ.ज.जा.)
19.	19 - कलपट्टा
20.	20 - वडकरा
21.	21 - कुट्टीयाडी
22.	22 - नादापुरम
23.	23 - कोयिलांडी
24.	24 - पेराम्ब्रा
25.	25 - बालुस्सेरी (अ.जा.)
26.	26 - एलतूर
27.	27 - कोझीकोड उत्तर
28.	28 - कोझीकोड दक्षिण
29.	29 - बेपूर
30.	30 - कुन्नामंगलम
31.	31 - कोडुवल्ली
32.	32 - तिरूवमबाडी
33.	33 - कोनडोट्टी
34.	34 - एरनाद
35.	35 - नीलम्बूर
36.	36 - वनदूर (अ.जा.)
37.	37 - मन्जेरी
38.	38 - पेरीन्थालमन्ना
39.	39 - मन्कडा
40.	40 - मलप्पुरम

41.	41 - वेंगरा
42.	42 - वल्लीक्कुन्नु
43.	43 - तिरूरनगाडी
44.	44 - तानूर
45.	45 - तिरूर
46.	46 - कोट्टक्कल
47.	47 - तावानूर
48.	48 - पोन्नानी
49.	49 - त्रिथाला
50.	50 - पट्टाम्बी
51.	51 - शोरनूर
52.	52 - ओट्टप्पालम
53.	53 - कोंगद (अ.जा.)
54.	54 - मन्नारकाड
55.	55 - मलमपुझा
56.	56 - पालाक्काड
57.	57 - तारूर (अ.जा.)
58.	58 - चित्तूर
59.	59 - नेम्मारा
60.	60 - अलथूर
61.	61 - चेलाक्करा (अ.जा.)
62.	62 - कुन्नामकुलम
63.	63 - गुरूवायुर
64.	64 - मनलुर
65.	65 - वडक्कान्चेरी
66.	66 - ओल्लूर
67.	67 - त्रिस्सूर
68.	68 - नट्टिका (अ.जा.)
69.	69 - कईपामंगलम
70.	70 - इरिन्जालाकुडा
71.	71 - पुडुक्काड
72.	72 - चालकुडी
73.	73 - कोडुंगाल्लूर
74.	74 - पेरूम्बावूर
75.	75 - अनगामाली
76.	76 - अलुवा
77.	77 - कलमास्सेरी
78.	78 - परावूर
79.	79 - व्यपीन
80.	80 - कोची
81.	81 - त्रिप्पूनिथुरा
82.	82 - एरनाकुलम
83.	83 - त्रिक्काकरा
84.	84 - कुन्नाथुनाड (अ.जा.)

85.	85 - पिरावाम
86.	86 - मूवाट्टपुझा
87.	87 - कोतामंगलम्
88.	88 - देवीकुलम (अ.जा.)
89.	89 - उदुमबनचोला
90.	90 - तोडुपुझ
91.	91 - इडुक्की
92.	92 - पीरूमेड
93.	93 - पाला
94.	94 - कडुनुरूती
95.	95 - वाईकम (अ.जा.)
96.	96 - एटुमानूर
97.	97 - कोट्टयम
98.	98 - पुतुप्पली
99.	99 - चंगनास्सेरी
100.	100 - कांजिराप्पल्ली
101.	101 - पूंजार
102.	102 - अरूर
103.	103 - चेरथला
104.	104 - अलप्पुझा
105.	105 - अम्बालाप्पुझा
106.	106 - कुट्टनाद
107.	107 - हरीपाद
108.	108 - कायामकुलम
109.	109 - मावेलिक्करा (अ.जा.)
110.	110 - चेनगान्नूर
111.	111 - थिरूवल्ला
112.	112 - रान्नी
113.	113 - अरानमुला
114.	114 - कोन्नी
115.	115 - अडूर (अ.जा.)
116.	116 - करूनागापल्ली
117.	117 - चवरा
118.	118 - कुन्नत्तूर (अ.जा.)
119.	119 - कोट्टाराक्कारा
120.	120 - पथनापुरम
121.	121 - पुनालुर
122.	122 - चडयमंगलम
123.	123 - कुण्डरा
124.	124 - कोल्लम
125.	125 - इरवीपुरम
126.	126 - चात्तान्नूर
127.	127 - वरकला
128.	128 - अट्टिंगल (अ.जा.)

129.	129 - चिराइनकीझु (अ.जा.)
130.	130 - नेडूमनगाड
131.	131 - वमनापुरम
132.	132 - कजाकुट्टम
133.	133 - वट्टीयूरकावू
134.	134 - तिरूवनन्तपुरम
135.	135 - नेमंम
136.	136 - अरुवीकरा
137.	137 - पारास्साला
138.	138 - काट्टाकडा
139.	139 - कोवालम
140.	140 - नेय्याट्टिनकरा

अनुबंध-5

अनुसूची

क: पुदुचेरी विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचनों की अनुसूची

मतदान कार्यक्रम	**एकल चरण** **(सभी 30 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)**
अधिसूचना जारी करने की तिथि	12.03.2021 (शुक्रवार)
नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख	19.03.2021 (शुक्रवार)
संवीक्षा की तारीख	20.03.2021 (शनिवार)
अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख	22.03.2021 (सोमवार)
मतदान की तारीख	**06.04.2021** **(मंगलवार)**
मतगणना की तारीख	02.05.2021 (रविवार)
मतदान संपन्न होने की तारीख	04.05.2021 (मंगलवार)

*** उन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण जहां मतदान आयोजित किए जाएंगे।**

पुदुचेरी के तीस (30) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 5 के अनुसार एकल चरण में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	1 - मन्नादीपेट
2.	2 - थिरूभुवानाई (अ.जा.)
3.	3 - औसुडु (अ.जा.)
4.	4 - मंगलम
5.	5 - विलियानुर
6.	6 - ओझुकराई
7.	7 - कादीरगामाम
8.	8 - इंदिरा नगर
9.	9 - थट्टानचावाडी
10.	10 - कामराज नगर
11.	11 - लासपेट
12.	12 - कालापेट
13.	13 - मथियालपेट
14.	14 - राजभवन
15.	15 - औपालम
16.	16 - ओरलिअमपेट
17.	17 - नेल्लीथोप
18.	18 - मोडलियारपेट
19.	19 - अरियांकुप्पम
20.	20 - मानावेली
21.	21 - एम्बालम (अ.जा.)
22.	22 - नेट्टापक्कम (अ.जा.)
23.	23 - बहौर
24.	24 - नेदुनगाडू (अ.जा.)
25.	25 - तिरूनाल्लार
26.	26 - कराईकल उत्तर
27.	27 - कराईकल दक्षिण
28.	28 - नेरावी - टी. आर पट्टिनाम
29.	29 - माहे
30.	30 - यानाम

अनुबंध-3

अनुसूची

क: तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचनों की अनुसूची

मतदान कार्यक्रम	**एकल चरण** **(सभी 234 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)**
अधिसूचना जारी करने की तिथि	12.03.2021 (शुक्रवार)
नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख	19.03.2021 (शुक्रवार)
संवीक्षा की तारीख	20.03.2021 (शनिवार)
अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख	22.03.2021 (सोमवार)
मतदान की तारीख	**06.04.2021** **(मंगलवार)**
मतगणना की तारीख	02.05.2021 (रविवार)
मतदान संपन्न होने की तारीख	04.05.2021 (मंगलवार)

*** उन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण जहां मतदान आयोजित किए जाएंगे।**

तमिलनाडु के दो सौ चौतीस (234) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 3 के अनुसार एकल चरण में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	1-गुम्मिडिपून्डी
2.	2-पोन्नेरी (अ.जा.)
3.	3-तिरूट्टानी
4.	4-तिरूवल्लुर
5.	5-पूनामल्लै (अ.जा.)
6.	6-अवाडी
7.	7-मदुरावोयल
8.	8-अम्बाट्टुर
9.	9-मादावरम
10.	10-तिरूवोट्टीयुर
11.	11-डॉ.राधाकृष्णन नगर
12.	12-पेराम्बुर
13.	13-कोलाथुर
14.	14-विल्लिवक्कम
15.	15-थिरू-वी-का-नगर (अ.जा.)
16.	16-एगमोर (अ.जा.)
17.	17-रोयापुरम
18.	18-हारबर
19.	19-चेपौक-थिरूवल्लीकेनी
20.	20-थाउजैन्ड लाइट्स
21.	21-अन्ना नगर
22.	22-विरूगमपक्कम
23.	23-सैदापेट
24.	24-त्यागरायनगर
25.	25-माइलापोर
26.	26-वेलाचेरी
27.	27-शोलिंगानल्लूर
28.	28-आलन्दुर
29.	29-श्रीपेरूम्बुडुर (अ.जा.)
30.	30-पल्लावरम
31.	31-तामबरम
32.	32-चेंगलपट्टु
33.	33-थिरूपोरूर
34.	34-चेय्युर (अ.जा.)
35.	35-मदुरांटकम (अ.जा.)
36.	36-उथिरामेरूर
37.	37-कांचीपुरम
38.	38-अराक्कोनम (अ.जा.)
39.	39-शोलिंगुर
40.	40-कटपाडी

41.	41-रानीपेट
42.	42-अर्काट
43.	43-वेल्लोर
44.	44-अनाईकट्टु
45.	45-किलवैथीनानकुप्पम (अ.जा.)
46.	46-गुडियाट्टम (अ.जा.)
47.	47-वनीयमबाडी
48.	48-अम्बुर
49.	49-जोलारपेट
50.	50-तिरूप्पाट्टुर
51.	51-उथानगरई (अ.जा.)
52.	52-बारगुर
53.	53-कृष्णागिरी
54.	54-वेप्पनहल्ली
55.	55-होसुर
56.	56-थाल्ली
57.	57-पालाकोडु
58.	58-पेन्नागारम
59.	59-धर्मपुरी
60.	60-पाप्पिरेड्डिप्पट्टी
61.	61-हरूर (अ.जा.)
62.	62-चेंगम (अ.जा.)
63.	63-तिरूवन्नामलाई
64.	64-किलपेन्नाथुर
65.	65-कलसापक्कम
66.	66-पोलुर
67.	67-अरानी
68.	68-चेय्यार
69.	69-वंडावासी (अ.जा.)
70.	70-गिन्गी
71.	71-मैलम
72.	72-टिन्डीवानम (अ.जा.)
73.	73-वानुर (अ.जा.)
74.	74-विलुप्पुरम
75.	75-विक्रावांडी
76.	76-थिरूक्कोइलुर
77.	77-उलुंडुरपेट्टै
78.	78-ऋषिवंडियम
79.	79-सन्कारापुरम
80.	80-कल्लाकुरिची (अ.जा.)
81.	81-गंगावल्ली (अ.जा.)
82.	82-अट्टुर (अ.जा.)
83.	83-यरकौड (अ.ज.जा.)
84.	84-ओमालुर

85.	85-मेट्टुर
86.	86-इडाप्पाडी
87.	87-संकारी
88.	88-सलेम (पश्चिम)
89.	89-सलेम (उत्तर)
90.	90-सलेम (दक्षिण)
91.	91-वीरापांडी
92.	92-रसिपुरम (अ.जा.)
93.	93-सेंथामंगलम (अ.ज.जा.)
94.	94-नामक्कल
95.	95-पारामाथी-वेलुर
96.	96-तिरूचेंगोडु
97.	97-कुमारपालयम
98.	98-इरोड (पूर्व)
99.	99- इरोड (पश्चिम)
100.	100-मोडाक्कुरिचि
101.	101-धारापुरम (अ.जा.)
102.	102-कानगायम
103.	103-पेरूनदुराई
104.	104-भवानी
105.	105-अंथियुर
106.	106-गोबिचेट्टिपालयम
107.	107-भवानीसागर (अ.जा.)
108.	108-उधागामंडलम
109.	109-गुडालुर (अ.जा.)
110.	110-कूनूर
111.	111-मेट्टुप्पालयम
112.	112-अवनाशी (अ.जा.)
113.	113-तिरूप्पुर (उत्तर)
114.	114-तिरूप्पुर (दक्षिण)
115.	115-पल्लाडम
116.	116-सुलुर
117.	117-कावुंडामपालयम
118.	118-कोयम्बटूर (उत्तर)
119.	119-थौंडामुथुर
120.	120-कोयम्बटूर (दक्षिण)
121.	121-सिंगानल्लुर
122.	122-किनाथुकाडावु
123.	123-पोल्लाची
124.	124-वालपरई (अ.जा.)
125.	125-उडुमलाईपेट्टाई
126.	126-मडाथुकुलम
127.	127-पालानी
128.	128-ओड्डानचात्रम

129.	129-अथूर
130.	130-निलाकोटेई (अ.जा.)
131.	131-नाथम
132.	132-डिण्डीगुल
133.	133-वेडासंडुर
134.	134-अरावाकुरिची
135.	135-करूर
136.	136-कृष्णारायपुरम (अ.जा.)
137.	137-कुलिथलाई
138.	138-मानाप्परई
139.	139-श्रीरंगम
140.	140-तिरूचिरापल्ली (पश्चिम)
141.	141-तिरूचिरापल्ली (पूर्व)
142.	142-तिरूवेरूम्बुर
143.	143-लालगुडी
144.	144-मनचानल्लुर
145.	145-मुसिरि
146.	146-थुरईयुर (अ.जा.)
147.	147-पेरम्बलूर (अ.जा.)
148.	148-कुन्नाम
149.	149-अरियालुर
150.	150-जायनकोंडम
151.	151-टिट्टाकुडी (अ.जा.)
152.	152-वृधाचलम
153.	153-नैवेली
154.	154-पानरूति
155.	155-कुड्डालोर
156.	156-कुरिन्जीपाडी
157.	157-भुवनगिरी
158.	158-चिदम्बरम
159.	159-कट्टुमन्नारकोइल (अ.जा.)
160.	160-सिरकाझी (अ.जा.)
161.	161-मइलादुतरई
162.	162 -पूमपुहार
163.	163-नागापट्टिनम
164.	164-किलवेलुर (अ.जा.)
165.	165- वेदारानयम
166.	166- थिरूथुरइपून्डी (अ.जा.)
167.	167-मन्नारगुडी
168.	168-तिरूवारूर
169.	169-नन्नीलाम
170.	170-थिरूविडाइमारूदुर (अ.जा.)
171.	171-कुम्बाकोनम
172.	172-पापानासम

173.	173-थिरूवाइयारू
174.	174-थन्जावुर
175.	175-ओराथानाडु
176.	176-पट्टुक्कोट्टई
177.	177-पेरावुरानी
178.	178-गन्धर्वाकोट्टई (अ.जा.)
179.	179-विरालीमलाई
180.	180-पुडुक्कोट्टाई
181.	181-थिरूमायम
182.	182-अलानगुडी
183.	183-अरानथंगी
184.	184-कराईकुडी
185.	185-तिरूप्पाट्टुर
186.	186-शिवगंगा
187.	187-मानामदुराई (अ.जा.)
188.	188-मेलुर
189.	189-मदुरई पूर्व
190.	190-शोलावन्दन (अ.जा.)
191.	191-मदुरई उत्तर
192.	192-मदुरई दक्षिण
193.	193-मदुरई केन्द्रीय
194.	194-मदुरई पश्चिम
195.	195-थिरूपारानकुन्दरम
196.	196-थिरूमंगलम
197.	197-उसिलामपट्टी
198.	198-अन्डीपटटी
199.	199-पेरयाकुलम (अ.जा.)
200.	200-बोडीनायाकानुर
201.	201-कुम्बुम
202.	202-राजापालायम
203.	203-श्रीविल्लीपुथुर (अ.जा.)
204.	204-सत्तुर
205.	205-शिवकासी
206.	206-विरूधुनगर
207.	207-अरूप्पुकोट्टई
208.	208-तिरूचुली
209.	209-पारामाकुडी (अ.जा.)
210.	210-तिरूवदानई
211.	211-रामानाथपुरम
212.	212-मुडुकलाथुर
213.	213-विलाथीकुलम
214.	214-थूथुक्कुडी
215.	215-तिरूचेन्डुर
216.	216-श्रीवाईकुन्तम

217.	217-ओट्टापिदारम (अ.जा.)
218.	218-कोविलपट्टी
219.	219-संकरानकोविल (अ.जा.)
220.	220-वासुदेवानल्लुर (अ.जा.)
221.	221-काडायानल्लुर
222.	222-टेनकासी
223.	223-अलानगुलम
224.	224-तिरूनेलवेली
225.	225-अम्बासमुद्रम
226.	226-पालायामकोट्टई
227.	227-नानगुनेरी
228.	228-राधापुरम
229.	229-कन्याकुमारी
230.	230-नागरकोईल
231.	231-कोलाचेल
232.	232-पद्मनाभपुरम
233.	233-विलावानकोडे
234.	234-किल्लीयूर

अनुबंध-4

अनुसूची

क. पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचनों की अनुसूची

मतदान कार्यक्रम	चरण-I (30 विसनिक्षे)	चरण-II (30 विसनिक्षे)	चरण-III (31 विसनिक्षे)	चरण-IV (44 विसनिक्षे)	चरण-V (45 विसनिक्षे)	चरण-VI (43 विसनिक्षे)	चरण-VII (36 विसनिक्षे)	चरण-VIII (35 विसनिक्षे)
अधिसूचना जारी करने की तारीख	02.03.2021 (मंगलवार)	05.03.2021 (शुक्रवार)	12.03.2021 (शुक्रवार)	16.03.2021 (मंगलवार)	23.03.2021 (मंगलवार)	26.03.2021 (शुक्रवार)	31.03.2021 (बुधवार)	31.03.2021 (बुधवार)
नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख	09.03.2021 (मंगलवार)	12.03.2021 (शुक्रवार)	19.03.2021 (शुक्रवार)	23.03.2021 (मंगलवार)	30.03.2021 (मंगलवार)	03.04.2021 (शनिवार)	07.04.2021 (बुधवार)	07.04.2021 (बुधवार)
संवीक्षा की तारीख	10.03.2021 (बुधवार)	15.03.2021 (सोमवार)	20.03.2021 (शनिवार)	24.03.2021 (बुधवार)	31.03.2021 (बुधवार)	05.04.2021 (सोमवार)	08.04.2021 (गुरूवार)	08.04.2021 (गुरूवार)
अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख	12.03.2021 (शुक्रवार)	17.03.2021 (बुधवार)	22.03.2021 (सोमवार)	26.03.2021 (शुक्रवार)	03.04.2021 (शनिवार)	07.04.2021 (बुधवार)	12.04.2021 (सोमवार)	12.04.2021 (सोमवार)
मतदान दिवस	**27.03.2021 (शनिवार)**	**01.04.2021 (गुरूवार)**	**06.04.2021 (मंगलवार)**	**10.04.2021 (शनिवार)**	**17.04.2021 (शनिवार)**	**22.04.2021 (गुरूवार)**	**26.04.2021 (सोमवार)**	**29.04.2021 (गुरूवार)**
मतगणना की तारीख	02.05.2021 (रविवार)	02.05.2021 (रविवार)	02.05.2021 (रविवार)	02.05.2021 (रविवार)	02.05.2021 (रविवार)	02.05.2021 (रविवार)	02.05.2021 (रविवार)	02.05.2021 (रविवार)
मतदान संपन्न होने की तारीख	04.05.2021 (मंगलवार)	04.05.2021 (मंगलवार)	04.05.2021 (मंगलवार)	04.05.2021 (मंगलवार)	04.05.2021 (मंगलवार)	04.05.2021 (मंगलवार)	04.05.2021 (मंगलवार)	04.05.2021 (मंगलवार)

* **उन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण जहां चरणों में मतदान आयोजित किए जाएंगे।**

पश्चिम बंगाल के तीस (30) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 4 के अनुसार चरण-I में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	212-पोताशपुर
2.	213-कांथी उत्तर
3.	214-भगबानपुर
4.	215-खेजूरी (अ.जा.)
5.	216-कांथी दक्षिण
6.	217-रामनगर
7.	218-इगरा
8.	219-दान्टन
9.	220-नयाग्राम (अ.ज.जा.)
10.	221-गोपीबल्लवपुर
11.	222-झाड़ग्राम
12.	223-केशियारी (अ.ज.जा.)
13.	228-खड़गपुर
14.	233-गरबेटा
15.	234-सल्बाणी
16.	236-मेदीनिपुर
17.	237-बिनपुर (अ.ज.जा.)
18.	238-बन्दवान (अ.ज.जा.)
19.	239-बलरामपुर
20.	240-बाघमुंडी
21.	241-जॉयपुर
22.	242-पुरूलिया
23.	243-मनबाजार (अ.ज.जा.)
24.	244-काशीपुर
25.	245-पाड़ा (अ.जा.)
26.	246-रघुनाथपुर (अ.जा.)
27.	247-सालतोरा (अ.जा.)
28.	248-छतना
29.	249-रानीबुंध (अ.ज.जा.)
30.	250-रायपुर (अ.ज.जा.)

पश्चिम बंगाल के तीस (30) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 4 के अनुसार चरण-।। में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	127-गोसाबा (अ.जा.)
2.	130-पत्थर प्रतिमा
3.	131-काकद्वीप
4.	132-सागर
5.	203-तामलुक
6.	204-पंसकुरा पूर्व
7.	205-पंसकुरा पश्चिम
8.	206-मोयना
9.	207-नंदकुमार
10.	208-महिषादल
11.	209-हल्दिया (अ.जा.)
12.	210-नन्दीग्राम
13.	211-चांदीपुर
14.	224-खड़गपुर सदर
15.	225-नारायणगढ़
16.	226-साबंग
17.	227-पिंगला
18.	229-देबरा
19.	230-दासपुर
20.	231-घाटल (अ.जा.)
21.	232-चन्द्रकोण (अ.जा.)
22.	235-केशपुर (अ.जा.)
23.	251-तालदनगरा
24.	252-बंकुरा
25.	253-बरजोरा
26.	254-ओंडा
27.	255-बिशनुपुर
28.	256-कतुलपुर (अ.जा.)
29.	257-इन्दस (अ.जा.)
30.	258-सोनामुखी (अ.जा.)

पश्चिम बंगाल के इकतीस (31) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 4 के अनुसार चरण-।।। में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	128-बसन्ती (अ.जा.)
2.	129-कुलटाली (अ.जा.)
3.	133-कुलपी
4.	134-रायदीघी
5.	135-मन्दिर बाजार (अ.जा.)
6.	136-जयनगर (अ.जा.)
7.	137-बरूईपुर पूर्व (अ.जा.)
8.	138-केनिंग पश्चिम (अ.जा.)
9.	139-केनिंग पूर्व
10.	140-बरूईपुर पश्चिम
11.	141-मगरहाट पूर्व (अ.जा.)
12.	142-मगरहाट पश्चिम
13.	143-डायमण्ड हारबर
14.	144-फाल्टा
15.	145-सतगाछिया
16.	146-बिशनुपुर (अ.जा.)
17.	177-उलुबेरिया उत्तर (अ.जा.)
18.	178-उलुबेरिया दक्षिण
19.	179-श्यामपुर
20.	180-बगनान
21.	181-अम्ता
22.	182-उदयनारायणपुर
23.	183-जगतबल्लवपुर
24.	195-जंगीपारा
25.	196-हरीपाल
26.	197-धनियाखाली (अ.जा.)
27.	198-तारकेश्वर
28.	199-पुरसुराह
29.	200-आरामबाग (अ.जा.)
30.	201-गोधाट (अ.जा.)
31.	202-खानाकुल

पश्चिम बंगाल के चौवालीस (44) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 4 के अनुसार चरण-IV में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	1-मेकलीगंज (अ.जा.)
2.	2-माथाभंगा (अ.जा.)
3.	3-कूच बिहार उत्तर (अ.जा.)
4.	4-कूच बिहार दक्षिण
5.	5-सीतलकूची (अ.जा.)
6.	6-सिताई (अ.जा.)
7.	7-दिनहाटा
8.	8-नाटाबारी
9.	9-तूफानगंज
10.	10-कुमारग्राम (अ.ज.जा.)
11.	11-कालचीनी (अ.ज.जा.)
12.	12-अलीपुर द्वारस
13.	13-फलकाटा (अ.जा.)
14.	14-मदारीहाट (अ.ज.जा.)
15.	147-सोनारपुर दक्षिण
16.	148-भांगर
17.	149-कसबा
18.	150-जादवपुर
19.	151-सोनारपुर उत्तर
20.	152-टोलीगंज
21.	153-बेहला पूर्व
22.	154-बेहला पश्चिम
23.	155-महेशटाला
24.	156-बज बज
25.	157-मेतियाबुरूज
26.	169-बाली
27.	170-हावड़ा उत्तर
28.	171-हावड़ा मध्य
29.	172-शिबपुर
30.	173-हाबड़ा दक्षिण
31.	174-सांकरैल (अ.जा.)
32.	175-पांचला
33.	176-उलुबेरिया पूर्व
34.	184-डोमजुर
35.	185-उत्तरपाड़ा
36.	186-श्रीरामपुर

37.	187-चम्पदानी
38.	188-सिंगुर
39.	189-चंदननगर
40.	190-चुनचुरा
41.	191-बलगढ़ (अ.जा.)
42.	192-पंदुआ
43.	193-सप्तग्राम
44.	194-चंडीताला

पश्चिम बंगाल के पैंतालीस (45) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 4 के अनुसार चरण-V में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	15-धूपगुड़ी (अ.जा.)
2.	16-मैनागुड़ी (अ.जा.)
3.	17-जलपाईगुड़ी (अ.जा.)
4.	18-राजगंज (अ.जा.)
5.	19-डबग्राम फूलबाड़ी
6.	20-माल (अ.ज.जा.)
7.	21-नगरकाटा (अ.ज.जा.)
8.	22-कालिम्पोंग
9.	23-दार्जिलिंग
10.	24-कुर्सीओंग
11.	25-मातीगारा-नक्सलबाड़ी (अ.जा.)
12.	26-सिलीगुड़ी
13.	27-फन्सिदेव (अ.ज.जा.)
14.	86-सान्तिपुर
15.	87-रणघाट उत्तर पश्चिम
16.	88-कृष्णागंज (अ.जा.)
17.	89-रणघाट उत्तर पूर्व (अ.जा.)
18.	90-रणघाट दक्षिण (अ.जा.)
19.	91-चकदहा
20.	92-कल्याणी (अ.जा.)
21.	93-हरिनघाट (अ.जा.)
22.	111-पानीहाटी
23.	112-कमरहटी
24.	113-बड़ानगर
25.	114-दम दम
26.	115-राजारहाट न्यू टाऊन
27.	116-बिधान नगर
28.	117-राजारहाट गोपालपुर
29.	118-मध्यमग्राम
30.	119-बारासात
31.	120-देगंगा
32.	121-हरोआ
33.	122-मीनाखान (अ.जा.)
34.	123-संदेशखाली (अ.ज.जा.)
35.	124-बसीरहाट दक्षिण
36.	125-बसीरहाट उत्तर

37.	126-हिंगलगंज (अ.जा.)
38.	259-खन्डाघोष (अ.जा.)
39.	260-बर्धमान दक्षिण
40.	261-रैना (अ.जा.)
41.	262-जमालपुर (अ.जा.)
42.	263-मान्टेश्वर
43.	264-कालना
44.	265-मेमारी
45.	266-बर्धमान उत्तर (अ.जा.)

पश्चिम बंगाल के तैंतालीस (43) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 4 के अनुसार चरण-VI में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	28-चोपड़ा
2.	29-इस्लामपुर
3.	30-गोलपोखर
4.	31-चकुलिया
5.	32-करनडीघी
6.	33-हेमताबाद (अ.जा.)
7.	34-कालियागंज (अ.जा.)
8.	35-रायगंज
9.	36-ईटाहार
10.	77-करीमपुर
11.	78-तेहट्टा
12.	79-पलाशिपारा
13.	80-कालीगंज
14.	81-नकाशीपारा
15.	82-चपरा
16.	83-कृष्णानगर उत्तर
17.	84-नबद्वीप
18.	85-कृष्णानगर दक्षिण
19.	94-बगदा (अ.जा.)
20.	95-बनगांव उत्तर (अ.जा.)
21.	96-बनगांव दक्षिण (अ.जा.)
22.	97-गईघटा (अ.जा.)
23.	98-स्वरूपनगर (अ.जा.)
24.	99-बदुरिया
25.	100-हब्रा
26.	101-अशोकनगर
27.	102-अमडंगा
28.	103-बीजपुर
29.	104-नईहटी
30.	105-भाटपाड़ा
31.	106-जगतदल
32.	107-नोआपाड़ा
33.	108-बैरकपुर
34.	109-खारडाह
35.	110-दमदम उत्तर
36.	267-भातर

37.	268-पूर्वस्थली दक्षिण
38.	269-पूर्वस्थली उत्तर
39.	270-कटवा
40.	271-केतुग्राम
41.	272-मंगलकोट
42.	273-औसग्राम (अ.जा.)
43.	274-गालसी (अ.जा.)

पश्चिम बंगाल के छत्तीस (36) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 4 के अनुसार चरण-VII में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	37-कुशमुंडी (अ.जा.)
2.	38-कुमारगंज
3.	39-बालूरघाट
4.	40-तपन (अ.ज.जा.)
5.	41-गंगारामपुर (अ.जा.)
6.	42-हरीरामपुर
7.	43-हबीबपुर (अ.ज.जा.)
8.	44-गजोल (अ.जा.)
9.	45-चंचल
10.	46-हरिश्चन्द्रपुर
11.	47-मालतीपुर
12.	48-रतुआ
13.	55-फरक्का
14.	56-समसेरगंज
15.	57-सुती
16.	58-जंगीपुर
17.	59-रघुनाथगंज
18.	60-सागरदीघी
19.	61-लालगोला
20.	62-भगवन गोला
21.	63-रानीनगर
22.	64-मुर्शिदाबाद
23.	65-नबाग्राम (अ.जा.)
24.	158-कोलकाता पोर्ट
25.	159-भबानीपुर
26.	160-राशबिहारी
27.	161-बालीगंज
28.	275-पांडाबेश्वर
29.	276-दुर्गापुर पूर्व
30.	277-दुर्गापुर पश्चिम
31.	278-रानीगंज
32.	279-जमुरिया
33.	280-आसनसोल दक्षिण
34.	281-आसनसोल उत्तर
35.	282-कुलती
36.	283-बाराबनी

पश्चिम बंगाल के पैंतीस (35) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जहां अनुबंध - 4 के अनुसार चरण-VIII में मतदान आयोजित किए जाएंगे

क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम
1.	49-मानिकचक
2.	50-माल्दहा (अ.जा.)
3.	51-इंगलिश बाजार
4.	52-मोथाबारी
5.	53-सुजापुर
6.	54-बैष्णब नगर
7.	66-खारग्राम (अ.जा.)
8.	67-बर्वान (अ.जा.)
9.	68-कंडी
10.	69-भरतपुर
11.	70-रेजीनगर
12.	71-बेलडांगा
13.	72-बहरामपुर
14.	73-हरिहरपाड़ा
15.	74-नावदा
16.	75-दोमकल
17.	76-जालांगी
18.	162-चौरंगी
19.	163-इन्टाल्ली
20.	164-बेलेघाटा
21.	165-जोरसान्को
22.	166-श्यामपुकुर
23.	167-माणिकटाला
24.	168-काशीपुर - बेलगाछिया
25.	284-दूबराजपुर (अ.जा.)
26.	285-सूरी
27.	286-बोलपुर
28.	287-नानुर (अ.जा.)
29.	288-लबपुर
30.	289-सैंथिया (अ.जा.)
31.	290-मयुरेश्वर
32.	291-रामपुरहाट
33.	292-हांसन
34.	293-नलहाटी
35.	294-मुराराई